

अध्याय II

आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र

अध्याय - II

2.1 परिचय

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 49 विभागों सहित 51 शीर्ष लेखापरीक्षा संस्थाओं तथा 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और 64 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों आदि की लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आती है। इन 64 स्वायत्त निकायों (ए.बी.) में से, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 29 ए.बी. का एकमात्र लेखापरीक्षक है। विभागों और अन्य संस्थाओं का विवरण अनुलग्नक 2.1 में दिया गया है और तालिका-2.1.1 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका-2.1.1: 49 विभागों और उनके अंतर्गत आने वाली 78 संस्थाओं की सूची

क्रम सं.	विभाग/विभागों के का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)	अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण, आदि)	कुल
		की संख्या		
1.	लोक निर्माण विभाग	-	-	-
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	-	-	-
3.	शहरी विकास	1	2	3
4.	विद्युत विभाग	4	1	5
5.	पर्यटन विभाग	1	1	2
6.	पुरातत्व विभाग	-	-	-
7.	दिल्ली अभिलेखागार	-	-	-
8.	कला, संस्कृति और भाषा	-	8	8
9.	व्यापार और कर विभाग	-	-	-
10.	राज्य उत्पाद शुल्क और व्यय	-	-	-
11.	वित्त विभाग	1	1	2
12.	योजना विभाग	-	-	-
13.	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय	-	-	-
14.	गृह विभाग	-	-	-
15.	विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग	-	1	1
16.	महापंजीयक दिल्ली उच्च न्यायालय	-	-	-
17.	अभियोजन निदेशालय	-	-	-
18.	सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय	-	-	-
19.	राजस्व विभाग	-	2	2
20.	मुख्य निर्वाचन कार्यालय	-	-	-
21.	विधानसभा सचिवालय	-	-	-
22.	सामान्य प्रशासनिक विभाग	-	-	-
23.	प्रशासनिक सुधार विभाग	-	-	-
24.	उपराज्यपाल का सचिवालय	-	-	-
25.	लोकायुक्त	-	-	-
26.	लोक शिकायत आयोग	-	-	-

क्रम सं.	विभाग/विभागों के का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)	अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण, आदि)	कुल
			की संख्या	
27.	सूचना और प्रचार विभाग	-	-	-
28.	भूमि और भवन विभाग	-	1	1
29.	उद्योग विभाग	1	-	1
30.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1	-	1
31.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	14	14
32.	समाज कल्याण विभाग	-	-	-
33.	महिला एवं बाल विकास विभाग	-	2	2
34.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1	-	1
35.	शिक्षा विभाग	-	3	3
36.	उच्चतर शिक्षा निदेशालय	-	15	15
37.	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय	-	6	6
38.	सेवा विभाग	1	-	1
39.	श्रम विभाग	-	2	2
40.	रोजगार निदेशालय	-	-	-
41.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	1	-	1
42.	विकास विभाग	-	1	1
43.	कृषि विपणन निदेशालय	-	-	-
44.	बाट एवं माप निदेशालय	-	-	-
45.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	-	-	-
46.	वन एवं वन्य जीव विभाग	-	-	-
47.	पर्यावरण विभाग	-	2	2
48.	खाद्य सुरक्षा विभाग	-	-	-
49.	परिवहन विभाग	2	2	4
	कुल	14	64	78

2.1.1 योजना, लेखापरीक्षा का संचालन और रिपोर्टिंग

वर्ष 2022-23 के दौरान, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली का कार्यालय ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 49 विभागों के कुल 784 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 240 इकाइयों¹ (30.61 प्रतिशत) की अनुपालन लेखापरीक्षा की। प्रतिवेदन के इस अध्याय में आठ विभागों से संबंधित दो एसएससीए और छह अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ के परिणाम सम्मिलित हैं।

अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र मूल्यांकन है कि क्या किसी दिए गए विषय वस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय लेन-देन, एक इकाई या संस्थाओं के समूह से संबंधित सूचना) सभी संदर्भों में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, निर्धारित संहिताओं आदि और सरकारी अधिकारियों के सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय

¹ ₹ 7128.72 करोड़ के व्यय को सम्मिलित करने वाली 15 शीर्ष लेखापरीक्षा संस्थाएं सम्मिलित हैं

प्रबंधन और आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों का अनुपालन करती है।

निम्नलिखित प्रवाह-चार्ट योजना बनाने, लेखापरीक्षा के संचालन और लेखापरीक्षा के परिणामों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को दर्शाता है:

चार्ट 2.1.1: योजना, लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग का संचालन

जोखिम का आकलन: संस्थाओं/योजनाओं आदि की लेखापरीक्षा के लिए निर्माण, जोखिम मूल्यांकन पर आधारित है जिसमें कुछ मानदंड सम्मिलित हैं जैसे:

- किया गया खर्च
- पिछली लेखापरीक्षा कब की गई
- गतिविधियों की गंभीरता/जटिलता
- सरकार द्वारा गतिविधि को दी गई प्राथमिकता
- प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर
- आंतरिक नियंत्रणों का आकलन
- हितधारकों की चिंताएं, आदि।

लेखापरीक्षा की योजना में यह निर्धारित करना सम्मिलित है:

- लेखापरीक्षा की सीमा और प्रकार - वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली
- विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षिती संस्थाओं और लेन-देन का नमूना

निरीक्षण रिपोर्टें निम्नलिखित आधार पर जारी की जाती हैं:

- अभिलेखों की संवीक्षा/डाटा विश्लेषण
- लेखापरीक्षा साक्ष्य की जांच
- लेखापरीक्षा प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तर/प्रदान की गई सूचना
- इकाई स्थानीय प्रबंधन के/प्रमुख के साथ चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित से तैयार किया जाता है:

- निरीक्षण रिपोर्टें या निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के मसौदे में सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में विभाग/सरकार के उत्तर और
- प्रतिवेदन दिल्ली विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक इकाई की अनुपालन लेखापरीक्षा पूरी होने के पश्चात, आईआर की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध सहित लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाली एक निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) इकाई के प्रमुख को जारी की जाती है। जब कभी उत्तर प्राप्त होते हैं, तो लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का या तो निपटान किया जाता है या अनुपालन के लिए अग्रिम कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन आईआर में उल्लिखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, जिन पर सरकार को उच्चतम स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिक्रियाओं पर उचित विचार करने के पश्चात सम्मिलित किए जाने से पूर्व, छह सप्ताह की अवधि में सरकार को उनको प्रतिक्रियाओं के लिए मसौदा पैराग्राफ के रूप में जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए जाने से पूर्व सरकार को विशिष्ट विषयों, अथवा योजनाओं पर अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रारूप भी उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए जारी किया जाता है। विभागाध्यक्षों और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

2.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

2.1.2.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तरों की स्थिति: लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागाध्यक्षों/राज्य सरकार को स्पष्टीकरण/उत्तर प्रदान करने का पूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं या आश्वस्त नहीं होते हैं, तो लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदन या सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी मामला हो, में सम्मिलित करने के लिए संसाधित किया जाता है। तथापि, अधिकतर मामलों में, लेखापरीक्षित संस्थाएं समय पर और संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करती हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

49 विभागों से संबंधित 469 आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को मार्च 2023 तक जारी किए गए आईआर की विस्तृत समीक्षा से ज्ञात हुआ कि 1636 आईआर में निहित 8,295 पैराग्राफ पर्याप्त/ठोस उत्तरों के अभाव में 31 मार्च 2023 तक निपटारे के लिए लंबित थे।

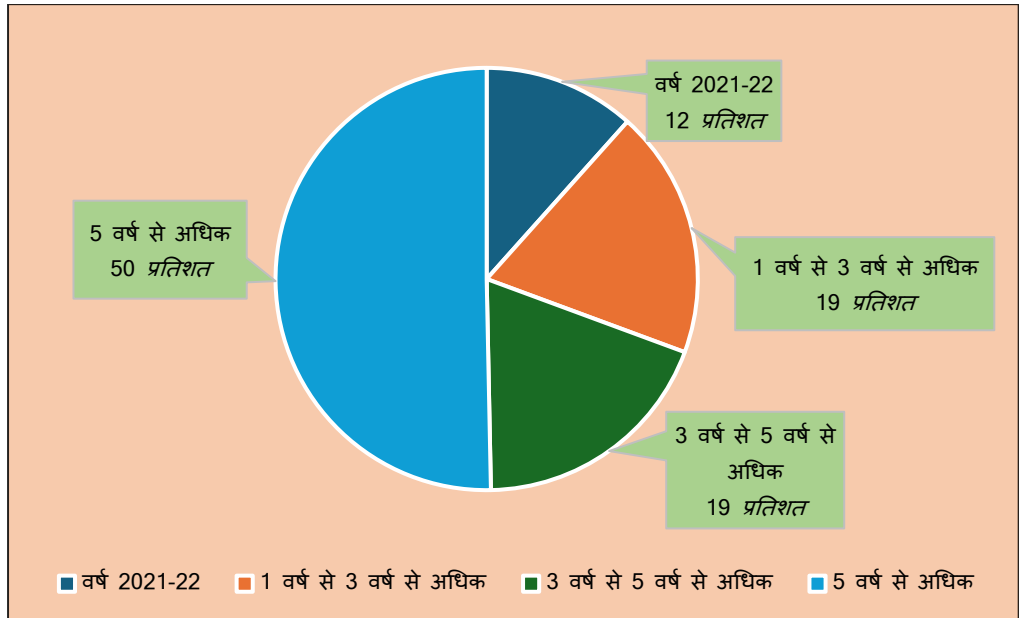
लंबित आईआर की स्थिति तालिका-2.1.2 में दी गई है।

**तालिका-2.1.2: 31 मार्च 2023 तक लंबित आईआर और पैराग्राफ
(31 मार्च 2023 तक जारी)**

क्रम सं.	अवधि	लंबित आईआर की संख्या (प्रतिशत)	लंबित पैरा की संख्या (प्रतिशत)
1	2021-22	137 (5.61)	1,375 (11.62)
2	1 वर्ष से 3 वर्ष से अधिक	293 (12.01)	2,251 (19.01)
3	3 वर्ष से 5 वर्ष से ज्यादा	331 (13.57)	2,255 (19.05)
4	5 वर्ष से अधिक	1,679 (68.81)	5,957 (50.32)
कुल		2,440	11,838

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी

चार्ट 2.1.2: लंबित लेखापरीक्षा पैराग्राफ की वर्ष-वार स्थिति



उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कुल पैरा का 50 प्रतिशत 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। इसके अतिरिक्त, 2022-23 की अवधि के दौरान

लंबित पैरा के निपटारे के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ केवल एक लेखापरीक्षा समिति² की बैठक आयोजित की जा सकी।

2.1.2.2 वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा पैराग्राफों के उत्तरों की स्थिति:

2022-23 (अध्याय II) के वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए, दो एसएससीए और छह अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों (सीएपी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उनके विचार जानने हेतु भेजी गई थी। चार सीएपी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में सरकार के उत्तर/प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। दो एसएससीए और दो सीएपी के संबंध में सरकार के उत्तरों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

2.1.3 पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई

- पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा पैराग्राफों के लंबित उत्तर

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिपादित मुद्दों के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) जारी करनी होती हैं, चाहे वे लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा के लिए लिए गए हैं या नहीं। वर्ष 1982 के केंद्र सरकार की पीएसी के निर्देशों के अनुसार, इन एटीएन को दिल्ली विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा विधिवत पुनरीक्षित पीएसी को प्रस्तुत किया जाना होता है।

2022-23 तक विधानमंडल में प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा पैराग्राफ और निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में एक बार भी नहीं प्राप्त एटीएन की स्थिति तालिका-2.1.3 में दर्शाई गई है।

² लेखापरीक्षा समितियों का गठन प्रशासनिक विभाग और लेखापरीक्षा के प्रतिनिधियों और वित्त विभाग के एक नामित व्यक्ति सहित लेखापरीक्षा योग्य इकाई के विभाग प्रमुख के साथ किया जाता है, जिसका उद्देश्य लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की निगरानी और अनुपालन और निपटारा सुनिश्चित करना होता है।

तालिका-2.1.3: 31.12.2024 तक एटीएन नहीं प्राप्त हुए

5

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू/गैर-पीएसयू)	विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) और अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ (सीएपी)		पीए/सीए पैराग्राफ की संख्या जिनके लिए एटीएन प्राप्त नहीं हुए थे	
		पीए	सीएपी ³	पीए	सीएपी
ए. सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर-पीएसयू)					
2018	05.07.2022	01	10	01	07
2019	05.07.2022	0	03	0	02
कुल		01	13	01	09
बी. पीएसयू					
2015	13.06.2016	01	06	00	01
2018	03.12.2019	01	02	01	00
2019	05.07.2022	0	04	0	03
कुल		02	12	01	04
कुल योग (ए + बी)		3	25	02	13

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी

- **लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा**

इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभिन्न विभागों/स्वायत्त निकायों से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा और 13 अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ सम्मिलित किए गए थे। पीएसी ने 31 मार्च 2023 तक इनमें से किसी भी पीए/सीएपी को चर्चा के लिए नहीं लिया।

- **सरकारी उपक्रम पर समिति (सीओजीयू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा**

इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षा और 12 अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों की सूचना दी गई थी। इनमें से, सीओजीयू ने चर्चा के लिए दो अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ लिए थे। 31 मार्च 2023 तक सीओजीयू चर्चा की स्थिति तालिका-2.1.4 में वर्णित है।

तालिका-2.1.4: सीओजीयू चर्चा की स्थिति, रा.रा.क्षे. दिल्ली, विधानसभा

स्थिति	वर्ष 2015-16 से 2021-22 के लिए सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पीए/सीएपी
कुल लेखापरीक्षा पैराओं की संख्या	14 (2 पीए + 12 सीएपी)
लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सीओजीयू द्वारा लिया गया	02 सीएपी
एटीएन प्राप्त हुआ	शून्य
सीओजीयू द्वारा की गई सिफारिश	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी

³ इसमें विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की संख्या भी सम्मिलित है।

2.1.4 राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने की स्थिति

ऐसे चार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन⁴ थे जिन्हें 31 मार्च 2023 तक राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था।

2.1.5 राज्य विधानमंडल में संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखे रखे जाने की स्थिति

16 स्वायत्त निकायों में से छह स्वायत्त निकायों अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली कल्याण समिति (डीकेएस), दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति पेंशन ट्रस्ट (डीटीसी ईएसपीटी) और दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) के लेखे एक से चार वर्षों तक की अवधि के लिए लंबित हैं। लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति का विवरण अनुलग्नक 2.2 में दिया गया है।

2.1.6 लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली

राज्य सरकार के विभागों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आई वसूलियों से संबंधित लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को लेखापरीक्षा की सूचना के अंतर्गत पुष्टि और आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के पास भेजा गया था।

2022-23 के दौरान, 276 मामलों में इंगित किए गए ₹ 32.06 करोड़ की वसूली से जुड़े लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति, संबंधित डीडीओ ने केवल 43 मामलों में ₹ 2.11 करोड़ (पिछले वर्षों की वसूली सहित) की वसूली की थी।

2.1.7 आभार

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली का कार्यालय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार प्रकट करना चाहता है।

⁴ (1) राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2020-21 (2022 की सं. 1), (2) दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन पर पीए (2022 की सं. 2), (3) राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र और पीएसयू 2019-20 और 2020-21 (2022 की सं. 3), और (4) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों पर पीए (2023 की सं. 1)।

2.1.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया का अभाव, राज्य विधान सभा में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों का पटल पर न रखना, राज्य संस्थाओं के वार्षिक लेखे/प्रतिवेदन तैयार करने में विलंब और राज्य विधानमंडल में एसएआर सहित स्वायत्त निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन/लेखे पटल पर न रखना सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए यह चिंता का विषय है।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

2.2 कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने पर ₹ 1.05 करोड़ का निष्फल व्यय

डीएसएसबी ने विज्ञापित रिक्तियों को वापस लेने की अगली सूचना और इस संबंध में बाद में भेजे गए अनुस्मारकों की अनदेखी करते हुए, दिल्ली जल बोर्ड में कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए एक परीक्षा आयोजित की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की स्थापना अक्टूबर 1996 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.), दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और रा.रा.क्षे.दि.स. के अंतर्गत स्वायत्त निकायों में विभिन्न पदों पर भर्ती करने के उद्देश्य से की गई थी। इस उद्देश्य के लिए, बोर्ड उपयोगकर्ता विभागों की आवश्यकता और उपयुक्तता के अनुसार परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करता है।

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने कनिष्ठ अभियंता (ई एंड एम) के पदों को भरने के लिए 18 सितंबर 2019 को डीएसएसएसबी को एक अनुरोध भेजा था। डीएसएसएसबी और मेसर्स ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड (मेसर्स ईडीसीआईएल) के बीच 9 अप्रैल 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुसार डीएसएसएसबी को विभिन्न श्रेणियों की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मेसर्स ईडीसीआईएल को प्रति उम्मीदवार ₹ 381 (अतिरिक्त 18 प्रतिशत जीएसटी) का भुगतान करना था। इसके अतिरिक्त, उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा प्रति उम्मीदवार ₹ 90 (अतिरिक्त 18 प्रतिशत जीएसटी) के भुगतान को अनुमोदित किया गया (जुलाई 2021), जिसका भुगतान डीएसएसबी द्वारा प्रत्येक केंद्र पर कोविड-19 से पूर्वोपाय के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स ईडीसीआईएल को किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो वर्ष के पश्चात, डीजेबी ने कनिष्ठ अभियंता (जेई) के पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया था (22 नवंबर 2021) तथा 27 दिसंबर 2021 को डीएसएसएसबी से पदों को भरने के लिए की गई मांग वापस लेने का अनुरोध किया था। वापसी की सूचना दोबारा से 10 जनवरी

2022 और 8 फरवरी 2022 को डीएसएसएसबी को दी गई थी। तथापि, उपयोगकर्ता विभाग द्वारा वापसी की सूचना के बावजूद, डीएसएसएसबी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और 7 फरवरी 2022 को पोस्ट कोड 15/21 सहित जेई के पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा अधिसूचित की और 21 मार्च 2022 को मैसर्स ईडीसीआईएल के माध्यम से परीक्षा भी आयोजित की। इसके पश्चात, डीएसएसएसबी ने क्रमशः 31 अक्टूबर 2022 और 10 फरवरी 2023 के व्यय स्वीकृति आदेश के माध्यम से ₹ 1.05 करोड़ की मंजूरी के व्यय की जानकारी दी थी और 7 नवंबर 2022 और 10 फरवरी 2023 को भुगतान किए गए वाउचर के माध्यम से मैसर्स ईडीसीआईएल को ₹ 1.05 करोड़⁵ का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, जेई के समाप्त किए गए पदों के लिए अनावश्यक परीक्षा आयोजित करने के लिए डीएसएसएसबी द्वारा ₹ 1.05 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया था।

अपने उत्तर (अप्रैल 2024) में डीएसएसएसबी ने कहा कि डीजेबी को सूचित किया गया था कि रिक्तियों को रद्द करने के लिए एलजी का अनुमोदन मांगा गया था, क्योंकि उस समय एलजी/मुख्य सचिव, दिल्ली द्वारा भर्ती प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी की गई थी। यह भी सूचित किया गया कि उक्त पद के लिए परीक्षा 21 मार्च 2022 के लिए निर्धारित थी, परंतु उपयोगकर्ता विभाग (डीजेबी) परीक्षा आयोजित करने से पहले अर्थात् समय पर उत्तर देने में विफल रहा है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीजेबी (उपयोगकर्ता विभाग) ने सार्वजनिक डोमेन में पद के विज्ञापन से पूर्व ही पद को समाप्त करने और परीक्षा रद्द करने के बारे में सूचित कर दिया था। तथापि, डीएसएसएसबी ने उपयोगकर्ता विभाग के अनुरोध/आवश्यकता का संज्ञान नहीं लिया और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जिससे ₹ 1.05 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। राजकोष को भारी हानि पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

⁵ (ए) उम्मीदवारों की कुल संख्या 19,900 * ₹ 381 (अतिरिक्त 18 प्रतिशत जीएसटी) प्रति उम्मीदवार = ₹ 89,46,642/-

(बी) एसडी-100 पृथकीकरण के अंतर्गत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रति उम्मीदवार कुल उम्मीदवार 19,900 * ₹ 90 (18 प्रतिशत जीएसटी) = ₹ 21,13,380 - ₹ 5,28,345 (पृथकीकरण सुविधाएं प्रदान न करने के लिए 25 प्रतिशत जुर्माना = ₹ 15,85,035/-

ए+बी = 1,05,31,677 अर्थात् ₹ 1.05 करोड़

ऊर्जा विभाग

2.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा विद्युत सब्सिडी के प्रबंधन पर अनुपालन लेखापरीक्षा

दिल्ली में विद्युत वितरण मुख्य रूप से तीन निजी डिस्कॉम, अर्थात् बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) द्वारा किया जाता है। उपलब्ध कराए गए डाटा (31 मार्च 2021) के अनुसार, दिल्ली में कुल लगभग 65 लाख विद्युत कनेक्शन थे, जिनमें बीआरपीएल 28.47 लाख से अधिक कनेक्शनों के साथ सबसे बड़ी वितरण उपयोगिता थी। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 राज्य सरकार को किसी भी उपभोक्ता/श्रेणी के उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की अनुमति देती है, जैसा उचित समझा जाए। दिल्ली में वर्ष 2003-04 से विद्युत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। दिल्ली में विद्युत के प्रमुख उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता है, जो कुल विद्युत खपत में लगभग 60 प्रतिशत और उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में लगभग 84 प्रतिशत परिवारों की भागीदारी है। वर्तमान में, सब्सिडी मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं, कृषि उपभोक्ताओं, सिख दंगा पीड़ितों और वकीलों के चैंबर को दी जाती है, जो सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं की दूसरी श्रेणी का गठन करती है। 2019-20 में विद्युत सब्सिडी के रूप में ₹ 2,405.59 करोड़ की राशि दी गई थी, जो बाद में बढ़कर 2022-23 में ₹ 3,161 करोड़ हो गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युत क्षेत्र के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. की सब्सिडी नीति ने आबादी के पात्र और वंचित वर्ग को लक्षित नहीं किया था और इसे लगभग पूर्ण घरेलू उपभोक्ता आधार को भुगतान किया था। 400 यूनिट खपत के उच्च अवसीमा मूल्य का औचित्य अभिलेख में नहीं पाया गया, जो लगभग 80 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को शामिल करता है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 0 से 200 यूनिट खपत श्रेणी के भीतर 30 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष औसतन ₹ 6,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई, जब कि 200 यूनिट से अधिक खपत वाले लगभग 16.60 लाख उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन ₹ 10,000 प्रति वर्ष की औसत सब्सिडी लगभग 70 प्रतिशत अधिक मिली। इस प्रकार, उच्च खपत वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए प्रति उपभोक्ता वास्तविक सब्सिडी व्यय बहुत अधिक था। लेखापरीक्षा

में आगे पाया गया कि कई उपभोक्ताओं ने लगातार बिल चक्र के लिए विद्युत की खपत (शून्य यूनिट की खपत) के बावजूद सब्सिडी का लाभ उठाया था। 2019-2023 के दौरान ऐसे निष्क्रिय बंद पड़े घरेलू कनेक्शनों को सब्सिडी के रूप में कुल लगभग ₹ 42.26 करोड़ दिए गए।

31 मार्च 2021 तक डीईआरसी के अनुसार, दिल्ली डिस्कॉम के लिए कुल विनियामक परिसंपत्तियां⁶ ₹ 27,200.37 करोड़ थीं।

2.3.1 परिचय

बिजली आधुनिक जीवन की जीवनरेखा है, जो हमारी दैनिक दिनचर्या और तकनीकी प्रगति के प्रत्येक पहलू में सहजता से एकीकृत है। उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों अर्थात् घरों, कृषि, वाणिज्यिक और सार्वजनिक उपयोगिताओं को विद्युत का प्रावधान विद्युत उत्पादन स्टेशनों, प्रेषण ग्रिडों और अंत में वितरण उपयोगिताओं के एक समन्वित नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 में दिल्ली में क्रय की गई कुल विद्युत 40,997 मिलियन यूनिट थी। कुल विद्युत खरीद का 9.65 प्रतिशत दिल्ली सरकार के विद्युत संयंत्रों से प्राप्त किया गया था, जब कि 90.35 प्रतिशत केंद्र सरकार और अन्य स्रोतों से खरीदा गया था। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत के लिए उपभोक्ता शुल्क तय करता है।

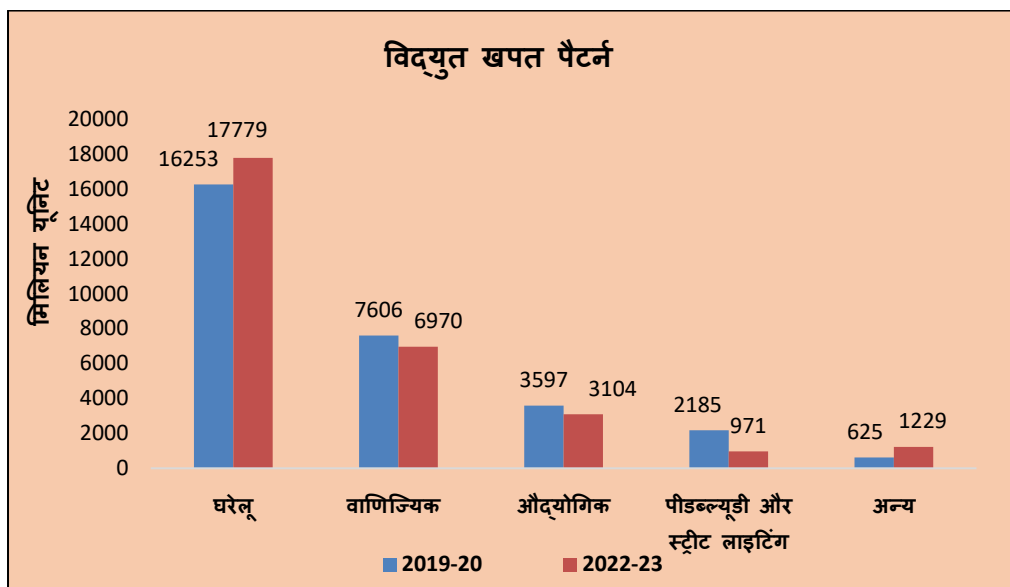
समय बीतने के साथ प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत और कुल विद्युत की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। दिल्ली में विद्युत की कुल खपत में घरों, प्रमुख विद्युत उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत और उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में लगभग 84 प्रतिशत है।

हमने पाया कि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विद्युत के वितरण के पैटर्न में परिवर्तन आया है और दिल्ली में घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत 2019-20 में खपत 16,253 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2022-23 में 17,779 मिलियन यूनिट हो गई है। दिल्ली में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 10 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 61.98 लाख से 2022-23 में 68.51 लाख हो गई। पिछले कुछ

⁶ विनियामक परिसंपत्तियां वे लागतें हैं जो कंपनी द्वारा वहन की जाती हैं (जैसे विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) द्वारा वहन की गई लागत हैं जो विनियमित दरों के माध्यम से भविष्य की अवधि में ग्राहकों से वसूली के लिए स्थगित कर दी जाती हैं)।

वर्षों में विद्युत की खपत में परिवर्तन, श्रेणी-वार ब्योरा, चार्ट 2.3.1 में दर्शाया गया है।

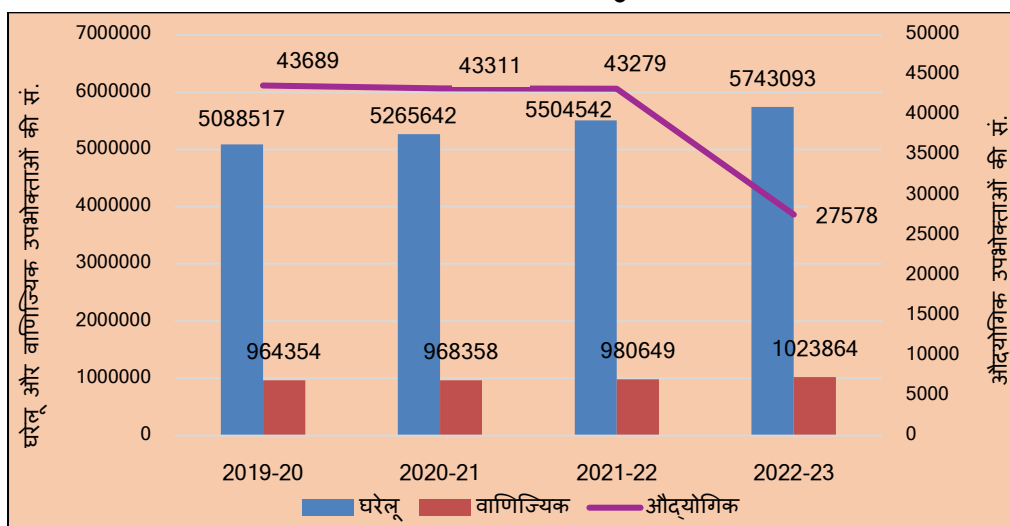
चार्ट 2.3.1: वर्षों में विद्युत की खपत में श्रेणी-वार परिवर्तन



स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24

ग्राहकों की संख्या के संदर्भ में पैटर्न के लिए, नीचे दिया गया चार्ट 2.3.2 तीन वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) अर्थात बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के लिए प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 2.3.2: तीन डिस्कॉम के घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं में परिवर्तन की प्रवृत्ति



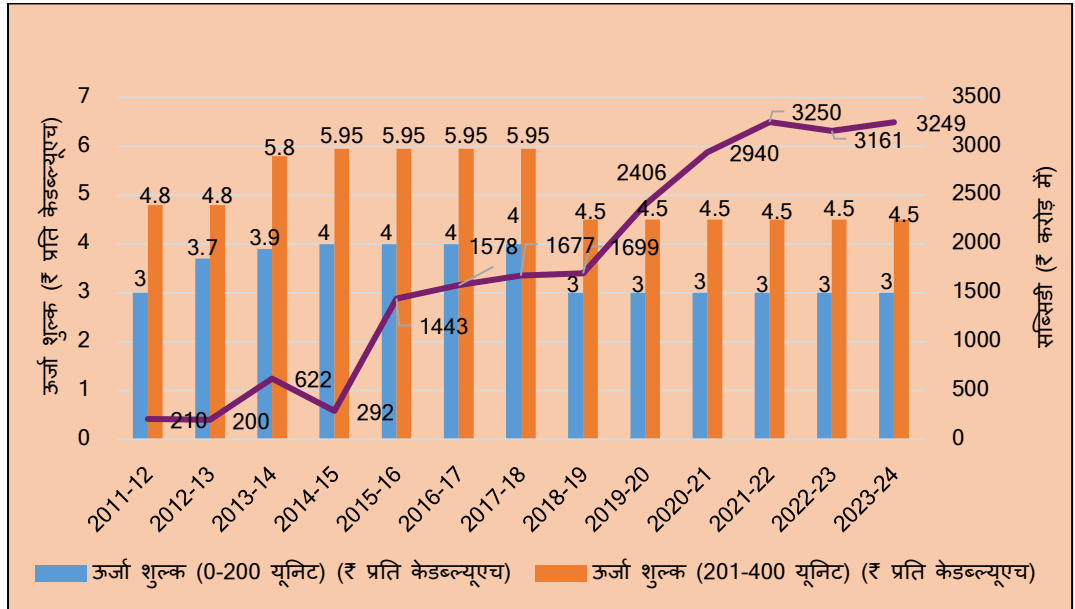
स्रोत: डिस्कॉम की याचिकाओं को डू-अप किया गया

उपर्युक्त चार्ट घरेलू उपभोक्ताओं में लगातार वृद्धि को दर्शाते हैं, जब कि वाणिज्यिक उपभोक्ता आधार नाममात्र वृद्धि दिखा रहा है। तथापि, धीरे-धीरे कमी आई है, इसके पश्चात औद्योगिक उपभोक्ताओं की संख्या में भारी कमी आई है। 2022-23 में औद्योगिक उपभोक्ताओं में लगभग 36 प्रतिशत की भारी गिरावट पूरी तरह से टीपीडीडीएल के औद्योगिक उपभोक्ताओं में कमी के कारण थी। खपत की प्रवृत्ति भी घरेलू आधार के अनुरूप है जो सबसे बड़ी भागीदारी पर कब्जा कर रही है।

दिल्ली में, 2003 से घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसकी राशि वर्षों से धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। 2019-20 से 2022-23 के दौरान, दिल्ली का औसत वार्षिक विद्युत सब्सिडी बिल लगभग ₹ 2,939 करोड़ प्रति वर्ष था।

400 यूनिट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शुल्क दरों सहित वार्षिक विद्युत सब्सिडी को नीचे चार्ट 2.3.3 में ग्राफिक रूप से दर्शाया गया है:

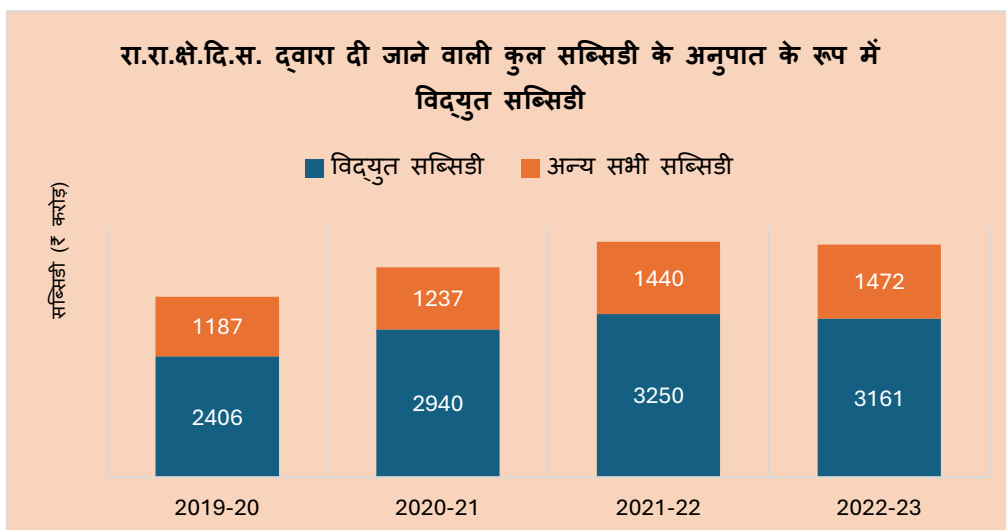
चार्ट 2.3.3: वर्षों के दौरान सब्सिडी और ऊर्जा शुल्क में परिवर्तन



स्रोत: विद्युत विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. का उत्तर और डीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेश।

सब्सिडी रा.रा.क्षे.दि.स. के कुल राजस्व व्यय का लगभग 10 प्रतिशत थी। जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट 2.3.4 में दर्शाया गया है, 2019-20 से 2022-23 के दौरान कुल सब्सिडी में केवल विद्युत सब्सिडी का भाग 66.96 से 70.39 प्रतिशत था, जो उपभोक्ताओं को विद्युत सब्सिडी प्रदान करने की प्रक्रिया और इसकी प्रभावशीलता का आकलन करने की आवश्यकता पर बल देता है।

चार्ट 2.3.4: रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कुल सब्सिडी के अनुपात के रूप में विद्युत सब्सिडी



स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. का उत्तर

2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

यह लेखापरीक्षा उपभोक्ताओं को सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया की जांच करने, इस प्रकार के वितरण को नियंत्रित करने वाले लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन का आकलन करने और उपभोक्ता शुल्कों पर निरंतर सब्सिडी के दीर्घकालिक प्रभावों का विश्लेषण करने पर केंद्रित था।

लेखापरीक्षा में 2019-20 से 2022-23 तक चार वर्षों की अवधि सम्मिलित थी।

लेखापरीक्षा के मानदंडों में विद्युत विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. के अभिलेखों की संवीक्षा; वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की टैरिफ याचिकाओं और डीईआरसी⁷ के टैरिफ आदेशों का अध्ययन; डिस्कॉम द्वारा सब्सिडी दावों के प्रवेश की प्रक्रिया की समीक्षा, सब्सिडी के वितरण के तंत्र की जांच और डिस्कॉम के उपभोक्ता बिलिंग डाटा का विश्लेषण सम्मिलित है। संबंधित डिस्कॉम से उपलब्ध प्रासंगिक डाटा के आधार पर पैटर्न और लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता बिलिंग डाटा का विश्लेषण किया गया है।

दिल्ली में विद्युत वितरण मुख्य रूप से तीन निजी डिस्कॉम, अर्थात् बीवाईपीएल, बीआरपीएल और टीपीडीडीएल द्वारा किया जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की इन डिस्कॉम में से प्रत्येक में 49 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी है। उपलब्ध कराए गए डाटा (31 मार्च 2021) के अनुसार, दिल्ली में कुल लगभग 65 लाख

⁷ डीईआरसी ने केवल 2021-22 तक टैरिफ आदेश जारी किया है।

विद्युत कनेक्शन थे, जिसमें बीआरपीएल 28.47 लाख से अधिक कनेक्शनों के साथ सबसे बड़ी वितरण यूटीलिटी थी, इसके पश्चात वर्ष 2021-22 में क्रमशः 18.54 लाख और 18.14 लाख कनेक्शन के साथ टीपीडीडीएल और बीवाईपीएल का स्थान था। इन तीन वितरण कंपनियों के अतिरिक्त, नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एमईएस) को भी डिस्कॉम माना जाता है, जो दिल्ली के कुल उपभोक्ता आधार के लगभग एक प्रतिशत को पूरा करता है। इस लेखापरीक्षा में समीक्षा के लिए विचार किया गया डिस्कॉम का चयन नहीं किया गया है।

11 मई 2023 को आयोजित एक प्रविष्टि सम्मेलन के माध्यम से लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों, कार्यक्षेत्र, नमूना और लेखापरीक्षा की पद्धति को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ साझा किया गया था। सरकार किस सीमा तक उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण और लक्षित तरीके से विद्युत सब्सिडी प्रदान करने के इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम थी, और उपभोग शुल्क पर दीर्घकालिक परिणामों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है। प्रतिवेदन का मसौदा सरकार को जारी की गई थी (मार्च 2025), और 10 जून 2025 को एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था, तथापि, सितंबर 2025 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

2.3.3 सब्सिडी नीति का कार्यान्वयन

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 राज्य सरकार को किसी भी उपभोक्ता/श्रेणी के उपभोक्ताओं को जैसा उचित समझा जाए सब्सिडी देने की अनुमति देती है। दिल्ली में, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत सब्सिडी वर्ष 2003-04 में शुरू की गई थी। 2005-07 के बीच, इसका लक्ष्य सभी घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए टैरिफ वृद्धि के 50 प्रतिशत को प्रभावहीन करना था। 2007-13 से, 200 यूनिट/माह तक की खपत के लिए ₹ 1/यूनिट सब्सिडी प्रदान की गई थी। इसके पश्चात, 2016-17 तक 0-200 और 201-400 यूनिट के लिए अलग-अलग स्लैब के साथ दरों को समय-समय पर संशोधित किया गया था।

2017-18 से, सब्सिडी का विस्तार 1984 के सिख दंगा पीड़ितों और अदालत परिसरों में वकीलों के चैंबर तक किया गया और 2018-19 में कृषि उपभोक्ताओं

तक भी इसका लाभ मिलने लगा। अगस्त 2019 से, सब्सिडी में 200 यूनिट/माह तक का पूरा बिल सम्मिलित था जिसमें ऊर्जा बिल, स्थायी शुल्क, सभी अधिभार आदि सम्मिलित हैं; और 201-400 यूनिट के बीच खपत के लिए, ₹ 800/माह तक की सब्सिडी दी गई थी। वर्तमान में, सब्सिडी मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं, कृषि उपभोक्ताओं, सिख दंगा पीड़ितों और वकीलों के चैंबर को दी जाती है, जो सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणी में आते हैं। सब्सिडी देने की प्रक्रिया को चित्र 1 में दर्शाए गए प्रवाह चार्ट में दर्शाया गया है:

चित्र 2.3.1: दिल्ली में विद्युत सब्सिडी संवितरण का प्रक्रिया प्रवाह



लेखापरीक्षा में उपभोक्ताओं को दी गई विद्युत सब्सिडी व्यवस्था के कार्यान्वयन में कमियां पाई गई, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है।

(i) सब्सिडी का अपयोजन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार, विद्युत विभाग को डिस्कॉम को अग्रिम रूप से विद्युत सब्सिडी आबंटित करने की आवश्यकता थी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीआरपीएल और बीवाईपीएल के मामले में, जिनके

पास दिल्ली विद्युत उत्पादन कंपनियों (इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) को देय पर्याप्त लंबित था, सब्सिडी राशि प्रत्येक रूप से इन डिस्कॉम को आबंटित नहीं की गई थी, बल्कि विद्युत विभाग द्वारा आईपीजीसीएल, पीपीसीएल और डीटीएल को अपनी ओर से अपयोजित की गई थी अन्य डिस्कॉम (टीपीडीडीएल, एनडीएमसी और एमईएस) के लिए, सब्सिडी प्रत्यक्ष रूप से आबंटित की गई थी।

उत्पादन कंपनियों (जेनको) और संचारण यूटीलिटी के साथ कुछ डिस्कॉम के लंबित का निपटान करने के लिए सब्सिडी निधि को तीसरे पक्ष को अपयोजित करने की यह प्रथा सब्सिडी वितरण प्रक्रिया को जटिल बनाती है, पारदर्शिता को कम करती है, तथा सब्सिडी आबंटन और उपभोक्ता लाभ के बीच एक स्पष्ट धन ट्रेल स्थापित करने में जवाबदेही को निर्बल बनाती है।

यह उल्लेख करना उचित है कि नीति आयोग (2017, विद्युत वितरण क्षेत्र में परिवर्तन) और वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने सब्सिडी वितरण के लिए एक वैकल्पिक ढांचे के रूप में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की सिफारिश की है। विद्युत विभाग ने स्वयं स्वीकार किया कि डीबीटी सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता बढ़ा सकता है और तीसरे पक्ष की लेखापरीक्षा की आवश्यकता को कम कर सकता है। तथापि, इन नीतिगत सिफारिशों और अपनी स्वीकृति के बावजूद, विद्युत विभाग द्वारा डीबीटी की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया था। निर्गम सम्मेलन में, विभाग ने कहा कि जेनको और डीटीएल के लिए डिस्कॉम के लगातार लंबित बकाया के कारण दिल्ली में डीबीटी साध्य नहीं था, जिसके कारण इस तरह के लंबित बकाया के प्रति क्षति समायोजन के लिए सब्सिडी का अपयोजन आवश्यक हो गया था। विभाग का उत्तर नीति आयोग और वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. की संदर्भित सिफारिशों के अनुरूप नहीं है।

(ii) विद्युत सब्सिडी के सत्यापन और लक्ष्यीकरण में समस्याएं

(क) सत्यापन में समस्याएं

व्यय का एक बड़ा भाग दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में सब्सिडी पर वहन किया जाता है। यह सुनिश्चित करना विद्युत विभाग का उत्तरदायित्व है कि सब्सिडी राशि

का उपयोग केवल अपने इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए और केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जाए।

प्रत्येक वर्ष सरकार सब्सिडी नीति को स्वीकृति देती है और डिस्कॉम द्वारा सब्सिडी दावों की सटीकता को सत्यापित करने के लिए एकमात्र तंत्र डीईआरसी द्वारा वार्षिक प्रस्तुत किए जाने वाले वास्तविक आंकड़े हैं, जो रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा डिस्कॉम को प्रदान की गई सब्सिडी को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रत्येक वर्ष डीईआरसी द्वारा एक बाह्य लेखापरीक्षक⁸ के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी गई राशि की तुलना में डिस्कॉम को जारी की गई सब्सिडी की एक विशेष लेखापरीक्षा करने का प्रस्ताव किया। यह देखा गया कि जनवरी 2024 में डीईआरसी द्वारा विशेष लेखापरीक्षा स्थापित की गई थी, जिसका प्रतिवेदन अंततः रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रस्तुत किया गया था।

तथापि, डीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर पूर्ण रूप से निर्भर होना यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि हजारों करोड़ रुपये की सब्सिडी वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच रही है। उदाहरण के लिए, इन आंकड़ों से यह यह उजागर नहीं होता कि क्या विद्युत कनेक्शन को अनावश्यक रूप से कई सब्सिडी का दावा करने के लिए विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, डीईआरसी स्वतंत्र सत्यापन के बिना, डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षक-प्रमाणित विवरणों के आधार पर सही आंकड़े तैयार करता है।

लेखापरीक्षा का मत है कि लोक निधियों के उचित उपयोग और उनके इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचने को सुनिश्चित करने के लिए एक सुस्थापित और पारदर्शी तंत्र की तत्काल आवश्यकता है। विद्युत कनेक्शन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और सब्सिडी प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए यादृच्छिक क्षेत्र निरीक्षण करना चाहिए। विशेष रूप से, डीईआरसी द्वारा नियुक्त बाहरी लेखापरीक्षक द्वारा किए गए विशेष लेखापरीक्षा की प्रतिवेदन में भी इसी प्रकार की चिंताओं को पूर्व ही उजागर किया गया था, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 2.3.4 में चर्चा की गई है।

⁸ एक निजी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है।

(ख) लेखापरीक्षित विवरण के बिना एमईएस और एनडीएमसी को सब्सिडी

उपभोक्ताओं को संवितरण की पुष्टि करने वाला लेखापरीक्षित विवरण/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर ही डिस्कॉम को सब्सिडी जारी की जाती है। तथापि, दो मानित डिस्कॉम, अर्थात् एमईएस और एनडीएमसी के लिए, 2019-20 से ऐसे प्रमाणपत्रों के बिना सब्सिडी जारी की गई है, जिससे दुरुपयोग का खतरा पैदा हो गया है। एनडीएमसी और एमईएस को जारी की जाने वाली वार्षिक सब्सिडी लगभग ₹ 15 करोड़ प्रत्येक है। लेखापरीक्षित विवरणों या उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि सब्सिडी राशि वास्तव में इच्छित लाभार्थियों को दी गई है, जिससे योजना का उद्देश्य विफल हो गया है और लोक निधि को संभावित अनियमितताओं के लिए अनावृत किया गया है।

(ग) विद्युत सब्सिडी का लक्ष्य

राष्ट्रीय टैरिफ नीति, 2006, भारत के विद्युत मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण ढांचा था, जिसे 6 जनवरी, 2006 को विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में निवेश, दक्षता और उपभोक्ता कल्याण को प्रोत्साहन देना था। यह नीति गरीब उपभोक्ताओं को लक्षित सब्सिडी प्रदान करने और उन्हें प्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में वितरित करने का सुझाव देती है। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार क्रॉस-सब्सिडी के माध्यम से खपत के न्यूनतम स्तर का समर्थन करे और संसाधनों के सतत उपयोग पर बल देने सहित बिजली के निःशुल्क प्रावधान को रोके।

पिछले चार वर्षों में कुल सब्सिडी व्यय में औसतन 68.78 प्रतिशत विद्युत सब्सिडी होने के बावजूद, रा.रा.क्षे.दि.स. की सब्सिडी नीति का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी संख्या को लक्षित करना है। सब्सिडी नीति में लक्षित उपभोक्ता आधार अथवा सब्सिडी की मात्रा का निर्धारण करते समय स्वीकृत भार अथवा विद्युत शुल्क अथवा अन्य अधिभार जैसे अन्य बिल घटकों की अवहेलना की गई है। यह पाया गया कि घरेलू उपभोक्ता, जो समग्र रूप से एक श्रेणी में, उपभोक्ता आधार का लगभग 84 प्रतिशत है, बिजली (यूनिट) का लगभग 60 प्रतिशत उपभोग करते हैं और सरकार द्वारा संवितरित सब्सिडी का 95 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करते हैं।

यह पिछले कुछ वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी दरों में किए गए लगातार परिवर्तनों के साथ जुड़ा हुआ था जैसा कि तालिका 2.3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3.1: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी दरें

वर्ष	स्लैब	प्रति यूनिट सब्सिडी	टिप्पणियां
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	0-400 यूनिट	₹ 2.00 (₹ 100/कनेक्शन/माह की अतिरिक्त सब्सिडी, 100 यूनिट/माह तक की खपत)	डीईआरसी द्वारा स्थायी शुल्क में पर्याप्त वृद्धि हुई और ऊर्जा शुल्क में कमी आई।
अप्रैल 2019 से जुलाई 2019	0-400 यूनिट	₹ 2.00 (₹ 100/कनेक्शन/माह की अतिरिक्त सब्सिडी, 100 यूनिट/माह तक की खपत)	
अगस्त 2019 से मार्च 2023	0-200 यूनिट 201-400 यूनिट	सब्सिडी के माध्यम से पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा सब्सिडी द्वारा प्रति माह ₹800 तक का भुगतान किया जाएगा	वित्त वर्ष 2019-20 से, डीईआरसी द्वारा 15 किलोवाट तक स्वीकृत भार के लिए निर्धारित शुल्क में कटौती की गई थी, जब कि ऊर्जा शुल्क काफी हद तक समान रहा।

स्रोत: दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मई 2022 में लिए गए एक कैबिनेट निर्णय के माध्यम से, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 1 अक्टूबर 2022 से एक संशोधित योजना भी शुरू की, जिसमें पात्र उपभोक्ताओं से सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए स्पष्ट अनुरोध मांगा गया था। तथापि, यह राजकोष पर सब्सिडी के भार को कम करने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि सब्सिडी का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं की संख्या उन लोगों की तुलना में अधिक थी जिन्होंने वास्तव में सब्सिडी का लाभ उठाया था।

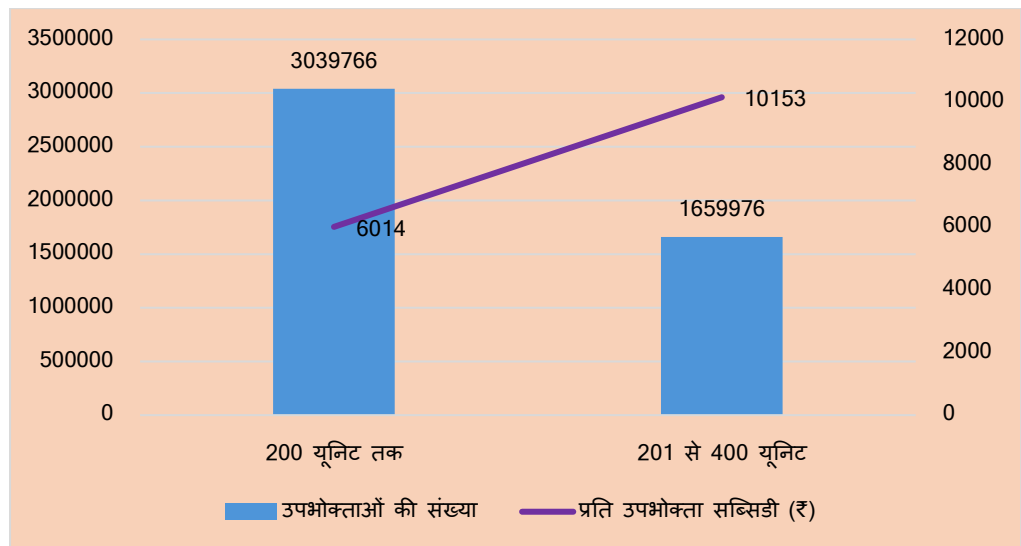
(iii) व्युत्क्रमित सब्सिडी योजना

पांचवें दिल्ली वित्त आयोग के प्रतिवेदन (अक्टूबर 2017) के अनुसार, विद्युत की खपत का स्तर उपभोक्ताओं की आर्थिक समृद्धि के स्तर को दर्शाता है। इस प्रकार, सब्सिडी उन लोगों के लिए लक्षित की जानी चाहिए जिनके पास खपत का स्तर कम है, जिन्हें सरकार से सहायता की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सब्सिडी व्यय को व्युत्क्रमित कर दिया गया और सब्सिडी को घरेलू आय अथवा सामाजिक-आर्थिक स्थिति से जोड़कर लक्षित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपभोक्ताओं को केवल 400 यूनिट प्रति बिलिंग चक्र की सीमा पर विभाजित करने पर ध्यान केंद्रित किया

गया था, चाहे स्वीकृत भार, बीपीएल स्थिति आदि कुछ भी हो। इसके अतिरिक्त, 400 यूनिट खपत के उच्च अवसीमा मूल्य के कारण, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 80 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं, अभिलेख में नहीं पाया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकार ने औसतन खपत की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं की तुलना में उच्च खपत की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं के लिए औसतन प्रति उपभोक्ता प्रति वर्ष अधिक सब्सिडी का भुगतान किया।

वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित सब्सिडी आवश्यकता के आंकड़ों और उपभोग श्रेणी में उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार, यह देखा गया कि जहां 0 से 200 यूनिट खपत की श्रेणी के भीतर 30 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष औसतन ₹ 6,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई, जबकि 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले लगभग 16.60 लाख उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन पर लगभग 70 प्रतिशत अधिक औसतन ₹ 10,000 प्रति वर्ष से अधिक की सब्सिडी प्राप्त हुई जैसा कि चार्ट 2.3.5 में दर्शाया गया है। इस प्रकार, उच्च खपत श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए प्रति उपभोक्ता वास्तविक सब्सिडी व्यय बहुत अधिक था। उपभोक्ताओं को उच्च उपभोग स्तर पर उच्च औसत सब्सिडी देना विवेकपूर्ण नीतिगत तर्क के विपरीत है, इसके अतिरिक्त यह राजकोषीय रूप से भी अपव्ययी है।

चार्ट 2.3.5: 2022-23 में प्रति उपभोक्ता सब्सिडी व्यय



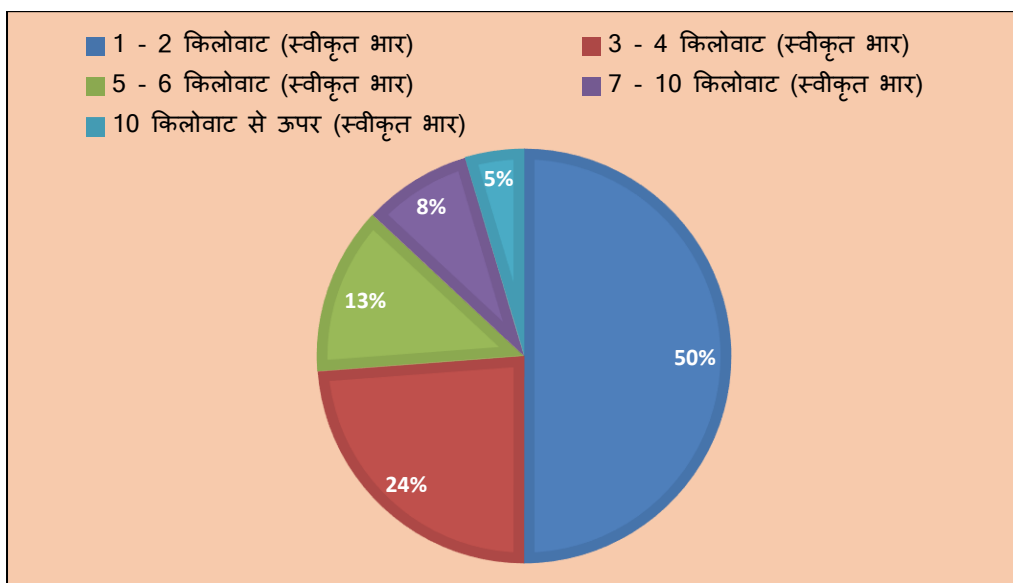
स्रोत: डिस्कॉम का उपभोक्ता बिलिंग डाटा

(iv) अप्रभावी सब्सिडी

सरकार द्वारा वहन की जाने वाली सकल बिल राशि का प्रतिशत सरकार द्वारा सब्सिडी के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली पर्याप्त सहायता का एक अच्छा संकेतक है। वित्तीय तर्क से यह सिद्ध होता है कि सरकार द्वारा वहन की जाने वाली सकल बिल राशि का प्रतिशत जितना अधिक होगा, उपभोक्ता के लिए सब्सिडी सहायता का मूल्य उतना ही अधिक होगा। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार को डीईआरसी की वैधानिक सलाह (19 अक्टूबर 2020) के अनुसार, प्रति वर्ष ₹ 315 करोड़ तक की बचत संभव थी यदि सब्सिडी 3 किलोवाट तक स्वीकृत भार वाले उपभोक्ताओं तक सीमित थी, जो 91 प्रतिशत उपभोक्ताओं को अपने दायरे में लाएगा, जब कि प्रति वर्ष ₹ 200 करोड़ तक की बचत प्राप्त की जा सकती है यदि सब्सिडी 5 किलोवाट तक स्वीकृत भार वाले उपभोक्ताओं तक सीमित थी जो दिल्ली में 95 प्रतिशत उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

तीन निजी डिस्कॉम के उपभोक्ता बिलिंग डाटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि सब्सिडी 1 से 2 किलोवाट एसएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल का लगभग 50 प्रतिशत है, जब कि यह 3 किलोवाट से 4 किलोवाट एसएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिल राशि का 25 प्रतिशत से भी कम भुगतान करने में सक्षम थी। जो उत्तरोत्तर उच्च भार के लिए और भी कम था।

चार्ट 2.3.6: स्वीकृत भार (किलोवाट) द्वारा कुल बिल राशि के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी



स्रोत: तीन डिस्कॉम का उपभोक्ता बिलिंग डाटा

3-4 किलोवाट एसएल के लिए, सरकार ने ₹ 2,100 से अधिक की सकल बिल राशि के लिए औसतन ₹ 500 से कम की सब्सिडी वहन की। यह भी देखा गया कि चूंकि 200 यूनिट तक की सब्सिडी का व्यय स्वीकृत भार से स्वतंत्र था और बिल राशि का 100 प्रतिशत सब्सिडी दिया गया था, इसलिए उच्च स्वीकृत भार पर अल्प खपत के लिए भी सब्सिडी व्यय बहुत अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए, 1 किलोवाट एसएल पर प्रति माह 50 किलोवाट की खपत पर लगभग ₹ 200 की सब्सिडी मिलेगी, जब कि 5 किलोवाट, 10 किलोवाट और 20 किलोवाट की एसएल पर समान ऊर्जा खपत के परिणामस्वरूप क्रमशः लगभग ₹ 500, ₹ 1,500 और ₹ 5,000 का सब्सिडी व्यय होगा।

मामले का अध्ययन: कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत सब्सिडी

कृषि क्षेत्र को संकट में देखते हुए सरकार कृषि उपभोक्ताओं को स्थायी शुल्कों पर ₹ 105 प्रति किलोवाट/माह की सीमा तक सब्सिडी प्रदान करती है। बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल से प्राप्त डाटा के अनुसार, 2022-23 के दौरान दिल्ली राज्य के भीतर लगभग 12,000 कृषि उपभोक्ता थे, जिन्होंने इस अवधि के दौरान लगभग ₹ 6.5 करोड़ की कुल सब्सिडी का लाभ उठाया। वित्त विभाग ने मंत्रीमंडल को बताया (फरवरी 2019) कि चूंकि कृषि सब्सिडी कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय सहायता का एक रूप है, इसलिए विभाग को किसानों की कृषि भूमि की मात्रा के आधार पर एक मानदंड निर्धारित करना चाहिए और सब्सिडी एक निश्चित सीमा तक कृषि भूमि रखने वाले किसानों तक सीमित होनी चाहिए। तथापि, इस तर्कसंगत सुझाव को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, छोटे/सीमांत किसानों के लिए सब्सिडी को लक्षित करने के लिए स्वीकृत भार के विभिन्न वर्गों के आधार पर कृषि बिजली कनेक्शनों की जांच या वर्गीकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकार ने उक्त आदेश में सब्सिडी को प्रति किसान एक कनेक्शन तक सीमित करने का कोई प्रावधान नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप सभी कृषि कनेक्शनों को सब्सिडी लाभ का भार उठाना पड़ता है, चाहे एक व्यक्ति के पास एक से अधिक कनेक्शन हों।

बीआरपीएल और टीपीडीडीएल डाटा के सूक्ष्म विश्लेषण से पता चला है कि न्यूनतम उपयोग (0-250 यूनिट/वर्ष की खपत के लिए लेखापरीक्षा में निर्धारित

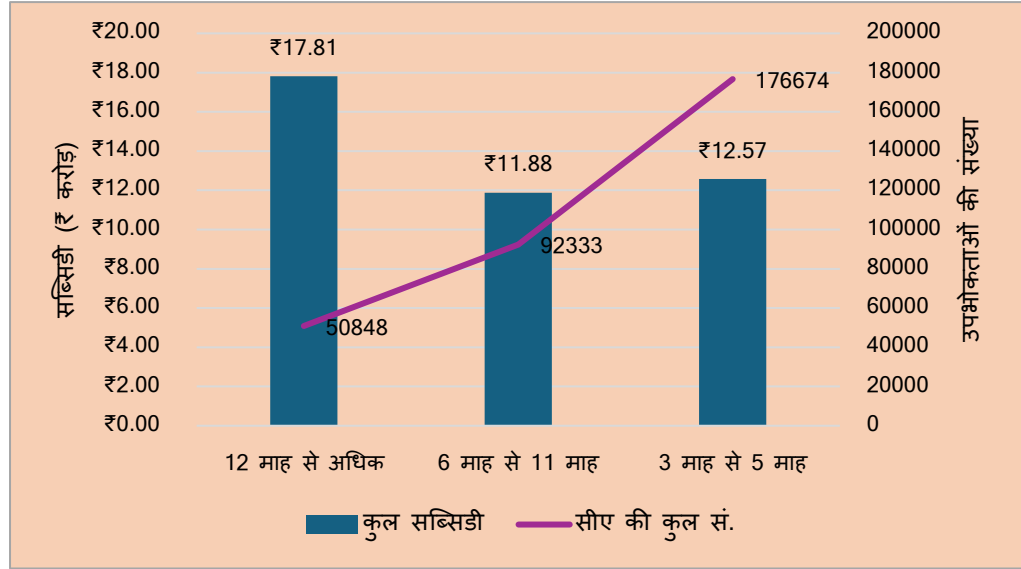
सीमा) कनेक्शन 2019-20 में 7.6 प्रतिशत और 10.91 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में क्रमशः 15.33 प्रतिशत और 13.05 प्रतिशत हो गया, जिससे सब्सिडी आर्थिक रूप से अनुचित हो गई। यह देखा गया कि बीआरपीएल में, इन न्यूनतम उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं में से लगभग 70 प्रतिशत की औसत खपत प्रति बिलिंग चक्र 0-10 यूनिट थी, जिससे सब्सिडी व्यर्थ हो गई। इसी प्रकार, टीपीडीडीएल के लिए, प्रति बिलिंग चक्र 0-10 यूनिट की खपत करने वाले ऐसे उपभोक्ताओं का प्रतिशत 2019-20 में 63.11 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 44.17 प्रतिशत हो गया। लेखापरीक्षा का मानना है कि इस प्रकार के अनियमित उपभोग पैटर्न के साथ कनेक्शन व्यावहारिक रूप से कोई आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं और नीतिगत स्तर पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

विद्युत विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने मंत्रीमंडल निर्णय संख्या 2516 दिनांक 13 अक्टूबर 2017 के माध्यम से दिल्ली भर में न्यायालय परिसरों में चैंबर वाले प्रत्येक वकील को विद्युत सब्सिडी भी प्रदान की। अप्रैल 2019 से मार्च 2023 तक, बीआरपीएल और बीवाईपीएल के लिए सब्सिडी व्यय ₹ 6.2 करोड़ था। बिलिंग डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि घरेलू उपभोक्ताओं (₹ 470) की तुलना में वकीलों के चैंबर्स के लिए उच्च प्रति-बिल सब्सिडी को दर्शाता है (बीआरपीएल के लिए ₹ 837 और बीवाईपीएल के लिए ₹ 931)। सरकार को प्रभावी लक्ष्यीकरण, वित्तीय स्थिरता और समानता को ध्यान में रखते हुए इस सब्सिडी सहायता की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

(v) निष्क्रिय/बंद पड़े घरेलू कनेक्शनों के लिए सब्सिडी

लेखापरीक्षा में बीआरपीएल के उपभोक्ताओं का बिलिंग पैटर्न और सब्सिडी व्यय के लिए विश्लेषण किया गया। यह पाया गया कि कई उपभोक्ता लगातार बिलिंग चक्र के लिए बिजली की खपत नहीं होने (शून्य यूनिट की खपत) के बावजूद सब्सिडी का लाभ उठा रहे थे। इसका श्रेय गैर-कार्यात्मक घरेलू इकाइयों या लंबे समय तक विशिष्ट आवासीय इकाइयों से दूर रहने वाले निवासियों को दिया जा सकता है। अप्रैल 2019 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान ऐसे निष्क्रिय बीआरपीएल उपभोक्ताओं को सब्सिडी के रूप में कुल लगभग ₹ 42.26 करोड़ दिए गए थे, जैसा कि चार्ट 2.3.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3.7: बीआरपीएल- सब्सिडी प्राप्त करने वाले शून्य खपत के साथ लगातार बिल



स्रोत: बीआरपीएल का उपभोक्ता बिलिंग डाटा

उपर्युक्त ग्राफ दर्शाता है कि पचास हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने 12 महीने से अधिक समय तक लगातार शून्य खपत की थी और उन्हें ₹ 17.81 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई थी, 90 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को 6 से 11 महीने तक लगातार शून्य खपत के लिए ₹ 11.88 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त हुई और 1 लाख 70 हजार से अधिक उपभोक्ताओं की 3 से 5 महीने की अवधि के लिए निरंतर शून्य खपत थी और ₹ 12.57 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त हुई।

उपर्युक्त खराब नीति ढांचे का संकेत है और बिजली की खपत पर आंकड़ों का आवधिक विश्लेषण केवल जरूरतमंद उपभोक्ताओं को विद्युत सब्सिडी देने के लिए एक विवेकपूर्ण नीति तैयार करने के लिए सरकार को अंतर्दृष्टि प्रदान करने में उपयोगी हो सकता है। लंबे समय तक निष्क्रिय कनेक्शनों पर सब्सिडी का व्यय व्यर्थ है और इससे कोई तर्कसंगत आर्थिक उद्देश्य पूरा नहीं होता।

इस प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स. का मुख्य उद्देश्य लगभग सभी घरेलू उपभोक्ता आधार को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार किए बिना विद्युत सब्सिडी प्रदान करना था। वर्तमान सब्सिडी व्यवस्था जारी रहने पर, अपरिहार्य टैरिफ वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सब्सिडी बिल पर पड़ेगा, जो सरकार के लिए अरक्षणीय हो सकता है, यदि नीति को केवल लक्षित उपभोक्ता आधार के लिए संशोधित नहीं किया जाता है।

सिफारिश 2.3.1: सरकार को डिस्कॉम के उपभोक्ता बिलिंग डाटा की समीक्षा करनी चाहिए ताकि इसका उपयोग पात्र लाभार्थियों तक विद्युत सब्सिडी पहुंचाने के लिए किया जा सके।

सिफारिश 2.3.2: सरकार समृद्ध उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने वाली व्यक्त्रमित सब्सिडी की स्थिति को रोकने के लिए सब्सिडी को 3 किलोवाट तक स्वीकृत भार से जोड़ने के लिए डीईआरसी की वैधानिक सलाह पर विचार करे।

सिफारिश 2.3.3: सरकार सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार के लिए डीबीटी शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाए, जबकि साथ ही साथ अलग-अलग व्यवस्था के माध्यम से डिस्कॉम के लंबित बकाये का समाधान भी करे।

2.3.4 बाहरी लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति

2016 से, मंत्रिपरिषद, रा.रा.क्षे.दि.स. ने सिफारिश की थी कि डीईआरसी डिस्कॉम को दिए जाने वाली सब्सिडी का एक विशेष लेखापरीक्षा करे, ताकि एक बाहरी लेखापरीक्षक के माध्यम से उपभोक्ताओं के खातों में वास्तव में जमा की गई राशि की तुलना में वितरित राशि का आकलन किया जा सके। तदनुसार, डीईआरसी ने 15 जनवरी 2024 को भारत के सीएजी के कार्यालय में सूचीबद्ध एक निजी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के माध्यम से एक विशेष लेखापरीक्षा की स्थापना की। सीए फर्म ने पीएजी (दिल्ली) के लेखापरीक्षा दल के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में लेखापरीक्षा की।

निजी फर्म द्वारा लेखापरीक्षा के दायरे में यह सत्यापित करना सम्मिलित था कि क्या सब्सिडी इच्छित उपभोक्ताओं को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से दी गई थी, विद्युत कनेक्शन के विभाजन और फर्जी लाभार्थियों के मामलों की पहचान करना, यह जांचना कि क्या देय सब्सिडी का भुगतान केवल पात्र उपभोक्ताओं को किया गया था, आदि। इस लेखापरीक्षा के निष्कर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि को सम्मिलित करते हुए "रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी विद्युत सब्सिडी के संबंध में डिस्कॉम की विशेष लेखापरीक्षा" शीर्षक प्रतिवेदन में सरकार को जारी किए गए थे।

तीन निजी डिस्कॉम (बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल) के प्रतिवेदन में कुछ प्रमुख अभ्युक्तियां निम्नलिखित से संबंधित हैं:

- (i) अनंतिम बिलों के आधार पर सब्सिडी देने में विसंगतियां
- (ii) कृषि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी में अनियमितताएं;
- (iii) कुछ मामलों में पहचान के प्रमाण और परिसर के स्वामित्व/अधिभोग के प्रमाण में कमी; तथा
- (iv) उदाहरण, तथापि सीमित हैं, जहाँ मास्टर डाटा में उपभोक्ता विवरण निर्माण स्थल दौरे के दौरान देखी गई जानकारी से मेल नहीं खाते हैं।

एनडीएमसी (मानित डिस्कॉम) के संबंध में कुछ अभ्युक्तियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- (i) प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1.2 में यह बताया गया था कि एनडीएमसी संभवतः प्रत्येक माह में दिनों की वास्तविक संख्या के स्थान पर बिलिंग चक्र के रूप में 30 दिन के माह का उपयोग कर रहा था।
- (ii) पैरा संख्या 6.5.2 के अनुसार सब्सिडी- अतिरिक्त सब्सिडी या कम सब्सिडी के संबंध में सरकार के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था।
- (iii) पैरा संख्या 6.4 के अनुसार सब्सिडी वितरण में विसंगति थी जहां एक ही उपभोक्ता के पास कई मापदंड हैं।

तथापि, बाहरी लेखापरीक्षक ने अगस्त 2025 तक एमईएस का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

निजी और मानित डिस्कॉम दोनों में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सब्सिडी प्रबंधन में प्रणालीगत कमियों को उजागर करते हैं जैसे कि अपर्याप्त लाभार्थी सत्यापन और बिलिंग अनियमितताएं, जो योजना की पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रभावित करती हैं। जब तक सुधारात्मक उपाय और उचित निगरानी नहीं की जाती है, तब तक सब्सिडी निधियों के रिसाव और दुरुपयोग के जोखिम की संभावना बनी रहेगी।

2.3.5 दीर्घकालिक रूप से उपभोक्ता शुल्क पर विद्युत सब्सिडी का प्रभाव

2.3.5.1 विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण - राज्य और उपभोक्ताओं पर भारी देयता

एक विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के संदर्भ में, एक विनियामक परिसंपत्ति (आरए) एक परिसंपत्ति के रूप में कंपनी के तुलन-पत्र में दर्ज की गई राशि को संदर्भित करता है। यह डिस्कॉम द्वारा वहन की गई लागतों का प्रतिनिधित्व करता है जो भविष्य में विनियमित दरों या टैरिफ के माध्यम से ग्राहकों से वसूल की जा सकती हैं। संशोधित टैरिफ नीति, 2016 का पैरा 8.2.2 दर्शाता है कि विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन नहीं किया जाना चाहिए और यदि सृजित किया जाता है, तो सात वर्ष की अवधि के भीतर उनकी वसूली के लिए एक प्रक्षेपवक्र निर्धारित किया जाना चाहिए।

चूंकि डिस्कॉम विनियामक निगरानी के अंतर्गत काम करते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर एक निर्दिष्ट अवधि में ग्राहकों से इन लागतों की वसूली के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों या सार्वजनिक उपयोगिता आयोगों जैसे विनियामक प्राधिकरणों से अनुमोदन लेने की आवश्यकता होती है। आरए की मान्यता विद्युत अपील अधिकरण (एपीटीईएल) और न्यायालयों के लंबित निर्णयों पर भी निर्भर करती है जो डिस्कॉम से याचिकाएं प्राप्त करते हैं। पिछले मामले, लंबित निर्णय और अकार्यान्वित निर्णय विनियामक परिसंपत्तियों की वास्तविक मात्रा की तथ्यात्मक स्थिति को और अधिक जटिल बनाते हैं।

किसी विशेष वित्त वर्ष के लिए डीईआरसी द्वारा निर्धारित वर्ष-दर-वर्ष राजस्व अंतर के कारण दिल्ली में संचालित डिस्कॉम के तुलन-पत्र में विनियामक परिसंपत्तियों⁹ का निर्माण हुआ है। इस आवर्ती राजस्व अंतर का एक प्रमुख कारण टैरिफ दरों में लंबे समय तक संशोधन नहीं करना है। चूंकि 2014-15 के पश्चात टैरिफ में वृद्धि नहीं की गई है, इसलिए उपभोक्ता टैरिफ विद्युत खरीद और वितरण की वास्तविक लागत को प्रतिबिंबित नहीं करता है। लागत और वसूली के बीच इस असंगतता के कारण अप्राप्त खर्चों का निरंतर संचय हुआ,

⁹ विनियामक परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से केंद्रीय और राज्य विद्युत उपयोगिताओं द्वारा बिल की गई अप्राप्त बिजली की खरीद लागत, आरओसीई और विनियामक परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए डिस्कॉम द्वारा लिए गए ऋण के वित्तपोषण की लागत सहित अन्य वैध लागतें सम्मिलित हैं। चूंकि, टैरिफ व्यय की गई लागतों को प्रतिबिंबित नहीं करता था; इसके परिणामस्वरूप सरकार पर एक अंतर और भविष्य की देयता पैदा हुई।

जो वर्ष दर वर्ष विनियामक परिसंपत्तियों के रूप में दू-अप किया गया है। परिणामस्वरूप, दिल्ली डिस्कॉम की विनियामक परिसंपत्तियां 2019-20 में ₹ 9,063 करोड़ थीं, परंतु 2020-21¹⁰ के दू-अप ऑर्डर¹¹ में तेजी से बढ़कर 31 मार्च 2021 तक ₹ 27,200.37 करोड़ तक पहुंच गई।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने 2021-22 के आंकड़ों के दू-अप के लिए अपनी याचिका में गैर-मान्यता प्राप्त विनियामक परिसंपत्तियों को क्रमशः ₹ 32,180 करोड़ और ₹ 19,647 करोड़ के रूप में प्रस्तुत किया था (**अनुलग्नक 2.3**)। इसके अतिरिक्त, डीईआरसी ने विद्युत के लिए अपील अधिकरण (एपीटीईएल) को राजस्व अंतर के परिसमापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे 2010 की एक अन्य सिविल अपील संख्या 884 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया था। तथापि, इस परिसमापन योजना को लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, दूइंग अप तंत्र के माध्यम से पूर्व अवधि के दावों की विलंबित मान्यता होने से विनियामक परिसंपत्तियों में अचानक वृद्धि होती है और दिल्ली में विनियामक परिसंपत्तियों का निरंतर निर्माण होता है, जिससे ऐसी स्थिति बन गई है जहाँ उचित समय सीमा के भीतर विनियामक परिसंपत्ति का परिनिर्धारण करने के लिए प्रभावी टैरिफ को या तो बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ झटका लग सकता है या राज्य सरकार द्वारा आगे भुगतान किया जा सकता है, जिसके पास पहले से ही बहुत अधिक सूक्ष्म राजस्व अधिशेष है।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों को चुकाने के लिए अधिभार के रूप में कुल ₹ 4,651 करोड़ एकत्र किए गए थे।

इस प्रकार, टैरिफ संरचना की बदलती गतिशीलता के अनुसार बदलती सब्सिडी नीति के विश्लेषण से पता चलता है कि सब्सिडी बिल में और वृद्धि होना निश्चित है, क्योंकि आगामी वर्षों में टैरिफ में परिवर्तन होता है, जो बढ़ती विनियामक परिसंपत्तियों और उन्हें परिनिर्धारित करने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अपरिहार्य है।

¹⁰ डाटा 2020-21 के बाद उपलब्ध नहीं है क्योंकि अंतिम दू-अप डीईआरसी द्वारा केवल 2020-21 तक किया गया था।

¹¹ मूल रूप से, आरए की मात्रा के संबंध में राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा एक अंतिम आदेश।

2.3.5.2 कर और अधिभार - व्यापक आधार वाली सब्सिडी व्यवस्था के कारण त्यागा गया

घरेलू उपभोक्ता के विद्युत बिल में मुख्य रूप से दो मूलभूत घटक निहित हैं- एक उपभोक्ता के स्वीकृत भार के आधार पर एक स्थायी शुल्क और एक यूनिट में खपत की गई वास्तविक विद्युत के लिए स्लैब-वार ऊर्जा प्रभार। इन दो मूलभूत घटकों पर अन्य शुल्क भी लगाए जाते हैं, जो उपभोक्ता के सकल विद्युत बिल का एक भाग होता है। ये अन्य शुल्क हैं- ऊर्जा शुल्क पर 5 प्रतिशत बिजली कर, भिन्न-भिन्न दरों पर विद्युत खरीद लागत समायोजन शुल्क (पीपीएसी), विनियामक परिसंपत्तियों को चुकाने के लिए 8 प्रतिशत की दर से अधिभार, डीवीबी कर्मचारियों की पेंशन ट्रस्ट देयताओं को पूरा करने के लिए 7 प्रतिशत की दर से पेंशन ट्रस्ट अधिभार, जो स्थाई शुल्क और ऊर्जा शुल्क दोनों घटकों पर लगाया जाता है।

उदाहरण के लिए, ऊर्जा शुल्कों पर बिजली कर/शुल्क 5 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है। 2020-21 के दौरान, विद्युत कर की मद में संग्रह ₹ 790.55 करोड़ था। अधित्याग (अर्थात् वर्तमान में 200 यूनिट से कम) वाले बिलों के मामले में, उपभोक्ताओं की ओर से सरकार द्वारा बिजली कर का प्रभावी रूप से भुगतान किया जाता है (छूट के रूप में), जिससे बड़े उपभोक्ता आधार पर पर्याप्त राजस्व की छूट होती है।

इसी प्रकार, सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाए गए उपर्युक्त सभी शुल्कों को सरकार द्वारा सब्सिडी व्यवस्था को व्यापक बनाने के कारण नकार दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के वित्त पर दोहरा संकट पड़ता है, पूर्व कुल बिल वाली इकाइयों पर सब्सिडी व्यय के माध्यम से और उसके पश्चात उपभोक्ता बिलों पर शून्य/न्यून कर/अधिभार के कारण राजस्व की हानि के रूप में।

सिफारिश 2.3.4: सरकार को उपभोक्ता शुल्क की समाप्ति के कारण राज्य के वित्त पर राजस्व हानि के साथ बढ़ते विनियामक परिसंपत्ति देयता के कारण भविष्य के टैरिफ शुल्कों पर प्रभाव का आकलन करना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

2.4 त्रुटिपूर्ण संविदा के कारण ₹ 1.93 करोड़ का परिहार्य भुगतान

जीटीबी अस्पताल ने प्रशासनिक विभाग के निर्देश पर 11 अक्टूबर 2014 को 224 नर्सिंग अर्दली और ग्रुप 'डी' कर्मचारी प्रदान करने के लिए मैसर्स सर्वेश सिक्योरिटीज़ सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स एसएसएसपीएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अनुबंध को 15 मार्च 2016 तक बढ़ा दिया गया। इस अनुबंध में अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का प्रावधान था। अस्पताल ने अनुबंध के बाद समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित न्यूनतम मजदूरी की संशोधित दर के अनुसार भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार के साथ विवाद हुआ और यह न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद और ₹ 1.93 करोड़ का परिहार्य भुगतान करने के बाद समाप्त हुआ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 25 में प्रावधान है कि कोई भी संविदा या अनुबंध, चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात में किया गया हो, जिसके द्वारा कोई कर्मचारी या तो इस अधिनियम के अंतर्गत उसे प्राप्त मजदूरी की न्यूनतम दर या किसी विशेषाधिकार या रियायत के अधिकार को छोड़ देता है या कम कर देता है, जहां तक यह इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दर को कम करने का इरादा रखता है, अमान्य होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के अधीन गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबी अस्पताल) ने जनवरी, 2014 में अस्पताल के लिए 246¹² नर्सिंग अर्दली (एनओ)/परिचर (ग्रुप डी सेवाएं) प्रदान करने के लिए एक निविदा जारी की थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (एच एंड एफडब्ल्यू), रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तैयार एनआईटी में कहा गया है कि बोलीदाता द्वारा उल्लिखित मूल्य दृढ़ और अंतिम होगा और इस अवधि के दौरान मुद्रास्फीति, न्यूनतम मजदूरी में संशोधन आदि जैसे किसी भी आधार पर संशोधन की

¹² जीटीबी अस्पताल के लिए 224 नर्सिंग अर्दली और मधुमेह, एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म (डीईएम) केंद्र के लिए 22 नर्सिंग अर्दली

अनुमति नहीं दी जाएगी। बोलीदाताओं को सलाह दी गई थी कि वे किसी भी घटक में किसी भी प्रत्याशित वृद्धि/संशोधन को ध्यान में रखें जो समेकित मासिक कोटेशन का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार, एनआईटी ने चयनित एजेंसी पर छह माह में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के निहितार्थ उसकी उद्धृत मासिक समेकित राशि के भीतर सम्मिलित करने की मांग की।

तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन में चार बोलीदाताओं को योग्य पाया गया। मैसर्स सर्वेश सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसएसएसपीएल) अक्टूबर, 2013 के लिए न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर ₹ 330.92 लाख (₹ 27.58 लाख प्रति माह एजेंसी शुल्क को छोड़कर) की वार्षिक अनुमानित लागत की तुलना में ₹ 21.25 लाख प्रति माह के कुल कोटेशन के साथ सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी थी। उद्धृत राशि अनुमानित लागत से 22.93 प्रतिशत कम थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अस्पताल क्रय समिति ने जुलाई, 2014 में आयोजित अपनी बैठकों में नोट किया था कि अक्टूबर, 2013 के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी के अनुसार, एजेंसी शुल्क को छोड़कर 246 एनओ के लिए उद्धृत राशि ₹ 27.58 लाख प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए। चूंकि बोलीदाता (मैसर्स एसएसएसपीएल) द्वारा उद्धृत दरें लागू न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम थीं और व्यावहारिक रूप से साध्य नहीं थीं, इसलिए समिति ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 28 जनवरी 2014 के निर्देशों के आलोक में बोलीदाता एल-1 को अस्वीकार करने की सिफारिश की, जिसमें प्रावधान किया गया था कि "यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

तथापि, जीटीबी अस्पताल के प्रस्ताव को एच एंड एफडब्ल्यू विभाग द्वारा जीटीबी के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा एनआईटी और इसके निविदा मूल्यांकन मानदंडों और कार्यप्रणाली को समझने में विफलता के रूप में माना गया था। यह कहा गया था कि चूंकि बोलीदाता को किसी भी घटक में किसी भी प्रत्याशित संशोधन को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त मासिक राशि का उल्लेख करना होता है, जो समेकित मासिक भाव का निर्माण कर सकता है, इसलिए जनवरी 2014 का भारत सरकार का निर्देश इस मामले में लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त,

विक्रेता द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में, अस्पताल जुर्माना लगा कर सकता है। इस प्रकार, अस्पताल को मैसर्स एसएसएसपीएल की सबसे कम बोली स्वीकार करने का निर्देश दिया गया था (सितम्बर, 2014)।

जीटीबी ने मैसर्स सर्वेश सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसएसएसपीएल) को जीटीबी अस्पताल के लिए 224 नर्सिंग अर्दली के लिए ₹ 19.35 लाख प्रति माह की एकमुश्त राशि पर एक वर्ष की अवधि के लिए काम सौंपा (11 अक्टूबर 2014) (चूंकि डीईएम केंद्र के लिए 22 नर्सिंग अर्दली और ग्रुप डी सेवाएं प्रदान करने का कार्य अगस्त 2014 में मैसर्स एचएलएल को सौंपा गया था), जो अक्टूबर 2013 से लागू न्यूनतम मजदूरी के अनुसार था। इस अनुबंध को 15 मार्च 2016 तक विस्तृत दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित न्यूनतम मजदूरी की संशोधित दर के अनुसार मजदूरी का भुगतान न किए जाने के मुद्दे पर अस्पताल और विक्रेता मैसर्स एसएसएसपीएल के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। विक्रेता मैसर्स एसएसएसपीएल ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए जीटीबी अस्पताल के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मध्यस्थता याचिका दायर की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक एकल नियुक्त किया (29 मई 2015), जिसने दोनों पक्षों के दावों को सुनने और अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात, अस्पताल के विरुद्ध 14 दिसंबर 2017 को 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित समय-समय पर अनुमोदित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार उच्च/संशोधित दर के साथ मजदूरी के भुगतान के लिए आदेश दिया। आदेश के अनुसार अस्पताल को मूल राशि के रूप में ₹ 4.18 करोड़ और ब्याज के रूप में ₹ 1.74 करोड़ का भुगतान करना था। जीटीबी अस्पताल ने न तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) के अनुसार मध्यस्थ के आदेश को चुनौती दी और न ही 120 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान किया। परिणामस्वरूप, विक्रेता मैसर्स एसएसएसपीएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक निष्पादन याचिका दायर की, जिसके परिणामस्वरूप, (31 अगस्त 2022) जीटीबी अस्पताल को संविदाकार मैसर्स एसएसएसपीएल को ₹ 2.49 करोड़¹³ के ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार,

¹³ प्रदान किए गए ब्याज और मूल राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज के रूप में ₹ 74.23 लाख के विरुद्ध ₹ 174.40 लाख का ब्याज।

₹ 4.18 करोड़ की मूल राशि के अतिरिक्त, अस्पताल को ₹ 1.93 करोड़ का भुगतान करना पड़ा, जिसमें मूल राशि¹⁴ के विलंबित भुगतान, प्रदान किए गए ब्याज¹⁵ के भुगतान और मध्यस्थता¹⁶ की लागत सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 65.79 लाख का भुगतान दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित था।

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण संविदा जो संविदाकार पर एक वर्ष के पश्चात भी एकमुश्त राशि के लिए काम करना जारी रखने और न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का भार वहन करने (अप्रैल 2014, अक्टूबर 2014, अप्रैल 2015 और अक्टूबर 2015 में) और ईएसआई, ईपीएफ, आदि जैसे अन्य वैधानिक दायित्वों और इसके अतिरिक्त न्यूनतम बोली स्वीकार करने के लिए एचएनएफडब्ल्यू का निर्देश, जीटीबी अस्पताल की क्रय समिति द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बावजूद कि वर्ष में दो बार न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि को देखते हुए उद्धृत दरें अलाभकारी थीं, जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार के साथ विवाद हुआ और न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ और इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.93 करोड़ के ब्याज और मुकदमेबाजी शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

मामला विभाग को भेजा गया (अक्टूबर 2024), उत्तर की प्रतीक्षित है (दिसंबर 2024)।

उद्योग विभाग

दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी)

2.5 ₹ 29.45 करोड़ का निष्फल व्यय

डीएसआईआईडीसी ने ग्रामीण विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. से रत्न और आभूषण पार्क और फैशन डिजाइन हब स्थापित करने के लिए बापरोला में 137.63 एकड़ भूमि पर 99 वर्षों के लिए पट्टा अधिकार प्राप्त किए (दिसंबर 2006)। भूमि के आबंटन के 18 वर्ष बीत जाने के बावजूद, आबंटित भूमि के 59 प्रतिशत (81.42 एकड़) के इच्छित/परिकल्पित उपयोग में अनिर्णय

¹⁴ ₹ 72.07 लाख

¹⁵ ₹ 1.11 करोड़

¹⁶ ₹ 10.50 लाख

निरंतर परिवर्तन के परिणामस्वरूप ₹ 29.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, डीएसआईआईडीसी ने आबंटित भूमि के लंबित वार्षिक भू-किराए के रूप में ₹ 15.79 करोड़ की अभुक्त देयता बनी।

दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) ने 13,763 एकड़ भूमि का अधिग्रहण (दिसंबर, 2006) ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी), रा.रा.क्षे.दि.स. से रत्न एवं आभूषण पार्क और फैशन डिजाइन हब की स्थापना के लिए बापरोला, दिल्ली में 99 वर्षों के लिए पट्टे के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, डीएसआईआईडीसी ने आरडीडी को पहले वर्ष के लिए भूमि की लागत और वार्षिक भू-किराए के रूप में ₹ 38.09 करोड़¹⁷ की राशि का भुगतान किया (जनवरी, 2007)।

अप्रैल 2019 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए डीएसआईआईडीसी के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डीएसआईआईडीसी ने बापरोला में कुल 137.63 एकड़ भूमि में से केवल 56.21 एकड़¹⁸ भूमि का उपयोग किया और आबंटन के 17 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद 81.42¹⁹ एकड़ भूमि (59 प्रतिशत) का उपयोग करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि शेष भूमि का उपयोग कैसे किया जाए, इस बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था क्योंकि समय बीतने के साथ परियोजनाओं/योजनाओं के प्रस्तावित विकास के संबंध में निर्णय में बार-बार परिवर्तन होते रहे थे। सितंबर 2010 में, विकासक से अब तक प्रतिक्रिया के अभाव के कारण, मुख्यमंत्री के अनुमोदन से रत्न और आभूषण पार्क और फैशन डिजाइन हब के लिए परिकल्पित उपयोग को ज्ञान आधारित औद्योगिक (केबीआई) पार्क में बदलने का निर्णय लिया गया। मैसर्स सीबीआई साउथ एशिया (एजेंसी) ने मार्च, 2012 की अपने प्रतिवेदन में केबीआई पार्क परियोजना को वित्तीय रूप से व्यवहार्य पाया। तथापि, यह परियोजना दिसंबर 2018 तक योजना के चरण में रही। इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने सिफारिश की कि 2019-20

¹⁷ भूमि प्रीमियम के लिए ₹ 37.16 करोड़ + भूमि किराया के लिए ₹ 0.93 करोड़ @ पहले वर्ष के लिए भूमि मूल्य का 2.5% = ₹ 38.09 करोड़।

¹⁸ (ख) फरवरी, 2013 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवास के लिए एक योजना शुरू की गई

¹⁹ 137.63 एकड़ - 56.21 एकड़ = 81.42 एकड़

के बाजार परिदृश्य के अनुसार बापरोला में केबीआई पार्क व्यवहार्य नहीं होगा। उद्योग मंत्री ने केबीआई पार्क परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया (अगस्त 2019) और इसके स्थान पर बापरोला में भूमि पर दुकान सह कार्यालय और फ्लैटेड कारखानों को विकसित करने का निर्णय लिया। तथापि, इस निर्णय को भी लागू नहीं किया गया और रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने रोजगार बजट 2022-23 में बापरोला में उपलब्ध औद्योगिक भूमि पार्सल पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का निर्णय लिया। नवंबर 2024 तक, इस मामले में कोई और प्रगति नहीं हुई क्योंकि दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन, विनिर्माण और नवीनीकरण नीति 2024-29 अभी भी रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही थी।

इस प्रकार, अनिर्णय और बापरोला में औद्योगिक भूमि पार्सल के लक्षित/परिकल्पित उपयोग में लगातार परिवर्तन के कारण, 81.42 एकड़ भूमि 17 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अप्रयुक्त रही और ₹ 29.45 करोड़ का भुगतान भी किया गया। चूंकि, डीएसआईआईडीसी ने दिसंबर 2007 से दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए भूमि किराए का भुगतान नहीं किया था, इसलिए इससे ₹ 15.79 करोड़²⁰ की अभुक्त देयता बनी, जिसके कारण आरडीडी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ब्याज और जुर्माना लगाया जा सकता है, जिससे डीएसआईआईडीसी पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है।

अपने उत्तर में, डीएसआईआईडीसी ने कहा (मार्च 2025) कि परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में निर्णय में परिवर्तन, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और भारत सरकार के अनुमोदन और नीति के अनुसार है, के परिणामस्वरूप परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ। डीएसआईआईडीसी ने आगे कहा कि वह रोजगार बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार परियोजना/योजना को लागू करने की प्रक्रिया में है और भूखंडों/कार्य स्थलों का बिक्री मूल्य तय करते समय डीएसआईआईडीसी द्वारा वहन किए गए व्यय को ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए, परियोजना के मूर्त रूप लेने के पश्चात डीएसआईआईडीसी पर कोई वित्तीय हानि/भार नहीं होगा।

²⁰ ₹ 92.90 लाख x 17 वर्ष = ₹ 15.79 करोड़

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पट्टे पर रखी गई भूमि का लाभकारी उपयोग करने के लिए निगम की ओर से अनिर्णय और सक्रियता के अभाव ने पिछले 17 वर्षों में रा.रा.क्षे.दि.स. उद्योगों और संबंधित रोजगार की वृद्धि और विकास के अपेक्षित लाभ सहित पर्याप्त निधियों की अवरोध से भी वंचित कर दिया है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

2.6 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा ई-खरीद प्रणाली के कार्यान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से खुली, गैर-भेदभावपूर्ण और कुशल सरकारी खरीद प्राप्त करने के उद्देश्य से मई, 2011 में एनआईसी की ई-खरीद प्रणाली को अपनाया था। यह पाया गया कि 1185 निविदाओं को मैन्युअल से जारी करने के अतिरिक्त, मॉड्यूल की कुछ प्रमुख विशेषताएं पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं थीं। ई-खरीद पोर्टल में ईएमडी पेमेंट गेटवे का एकीकरण न होने के कारण बयाना राशि जमा को मैन्युअल ऑफ़लाइन एकाग्र किया गया था। निविदाओं के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन में हस्तक्षेप और मॉड्यूल में व्यावसायिक नियमों की मानचित्रिकरण नहीं देखी गई, जो डिजाइन स्तर नियंत्रण की निर्बलता और प्रणाली में उचित सत्यापन नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है।

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि कुल 50,903 पंजीकृत बोलीदाताओं में से, प्रणाली ने अनिवार्य पैन नंबर के बिना 66 बोलीदाताओं के पंजीकरण की अनुमति दी, जिनमें से 12 बोलीदाताओं ने 28 वैध बोलियों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, ₹ 530.25 करोड़ के निविदा मूल्य वाली 45 निविदाओं में, बोलीदाताओं ने उसी निविदा में सामान्य पैन बोली के साथ पंजीकरण किया, जिससे बोलीदाताओं के बीच दुरभिसंधि का संदेह पैदा हुआ। इसी प्रकार, 12,283 बोलीदाताओं ने केवल 5,658 ईमेल आईडी का उपयोग किया, जो दर्शाता है कि प्रणाली ने एक ही ईमेल आईडी के साथ कई बोलीदाताओं के पंजीकरण की अनुमति दी थी। विशेष रूप से, 38 निविदाओं (₹ 2.52 करोड़ के निविदा मूल्य के साथ) में, सभी बोलियां एक ही ईमेल आईडी के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा रखी गई थीं, जो संदिग्ध प्रतिपत्री बोली का संकेत

देती थीं। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अमान्य/समान मोबाइल नंबर के साथ पंजीकृत विभागीय प्रयोक्ता और बोलीदाताओं में इनपुट सत्यापन नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है। डाटा विश्लेषण से पता चला कि ₹ 3,217.44 करोड़ के निविदा मूल्य वाली 7,181 निविदाओं से संबंधित 14,527 वैध बोलियों के मामले में, बोलीदाताओं ने विभागीय उपयोगकर्ताओं और बोलीदाताओं के बीच हितों के टकराव का संकेत देते हुए एक ही आईपी पते का उपयोग किया। लेखापरीक्षा के दौरान जन्म तिथि के विवरण के बिना पंजीकरण, विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रणाली में लॉग इन करने, बोलीदाताओं का अनुचित पंजीकरण, अमान्य डीएससी के साथ दस्तावेजों को अपलोड करने और तकनीकी मूल्यांकन से पूर्व वित्तीय पैकेटों को डिफ्रिंट करने के मामले भी देखे गए।

लेखापरीक्षा में प्रणाली की डाटा संपूर्णता पर आश्वासन प्रदान करने के लिए विभाग के नियंत्रण तंत्र में कमियां देखी गईं। यह पता चला कि 1,54,586 निविदाओं में से केवल 5363 निविदाओं (3.47 प्रतिशत) में ₹ 3,254.68 करोड़ के निविदा मूल्य का संविदा विवरण था। प्रणाली में केवल लगभग 34 प्रतिशत निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन विवरण का अद्यतन करना, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की 497 निविदाओं की त्रुटिपूर्ण मैपिंग, जिसमें ₹ 1,106.04 करोड़ का निविदा मूल्य है, गलत टीआईए के विरुद्ध, निविदा मूल्यांकन के दौरान अप्रासंगिक और अपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना आदि भी लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान अपर्याप्त अंतर्निहित नियंत्रण तंत्र को दर्शाते हुए देखा गया।

2.6.1 परिचय

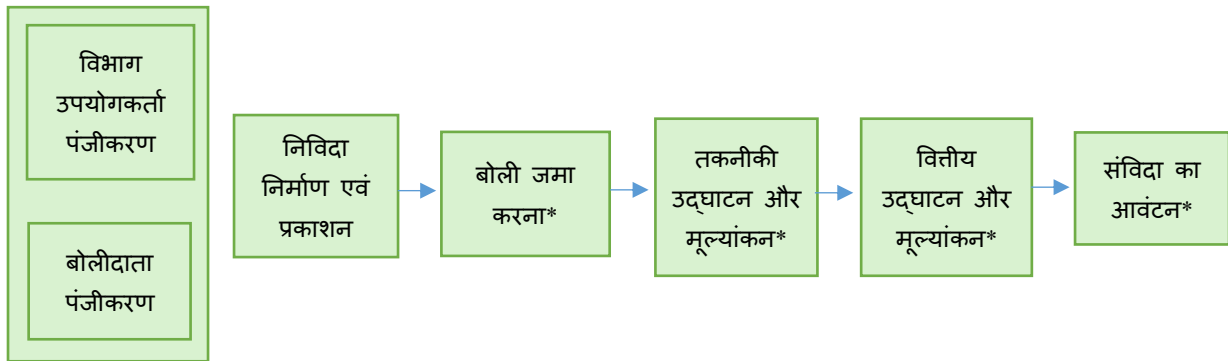
एनआईसी²¹ की ई-खरीद प्रणाली को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना के रूप में शुरू किया गया था (अप्रैल 2011) और अप्रैल 2011 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा शुरू किए गए एप्लिकेशन का उद्देश्य पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से खुली, गैर-भेदभावपूर्ण और कुशल सरकारी खरीद प्राप्त करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने मई 2011 में इस एप्लिकेशन को अपनाया और इसे लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआईटी) के अंतर्गत

²¹ एनआईसी की सरकारी ई-खरीद प्रणाली (जीईपीएनआईसी)

दिल्ली ई-गवर्नेंस सोसाइटी (डीईजी) को परियोजना की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी गठित की गई।

ई-खरीद प्रणाली (प्रणाली) के कार्यप्रवाह के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रणाली में उपयोगकर्ताओं²² के पंजीकरण की आवश्यकता होती है। प्रणाली का कार्यप्रवाह चार्ट 2.6.1 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.6.1: ई-खरीद प्रणाली का कार्यप्रवाह



* **ईएमडी प्रस्तुतीकरण** (बोली प्रस्तुत करने के भाग के रूप में) ऑफलाइन था। **तकनीकी मूल्यांकन** और **संविदा आवंटन (एओसी)** प्रणाली के बाहर मैन्युअल रूप से किया जा रहा है और मूल्यांकन के पश्चात परिणाम प्रणाली पर अपलोड किए जाते हैं। सामान्य तौर पर, **वित्तीय मूल्यांकन** प्रणाली द्वारा किया जा रहा है, प्रस्तुत बोली मूल्य के आधार पर रैंक का सृजन किया जा रहा है, तथापि, टीआईए (निविदा आमंत्रण प्राधिकरण) द्वारा मैन्युअल वित्तीय मूल्यांकन हैं।

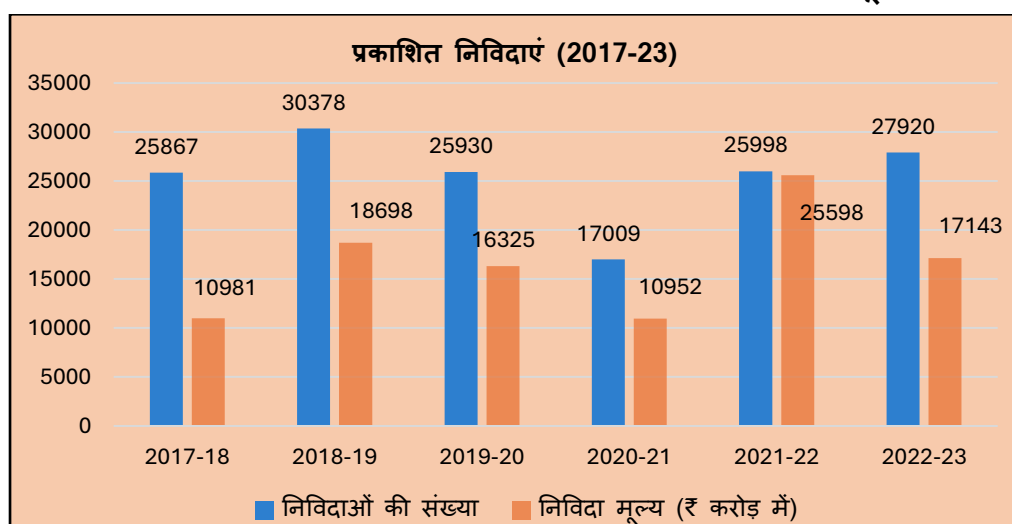
प्रणाली के कार्यप्रवाह को विभिन्न प्रक्रिया प्रवाह मॉड्यूल²³ को सम्मिलित करते हुए खरीद एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। यह देखा गया कि 2017-18 से 4 मई 2023 तक, ई-खरीद प्रणाली द्वारा ₹ 1,01,098.67 करोड़ मूल्य की कुल 1,54,586 निविदाएं प्रकाशित हुईं।

लेखापरीक्षा अवधि के लिए निविदाओं की वर्षवार संख्या और निविदा मूल्य नीचे चार्ट 2.6.2 में दर्शाया गया है।

²² विभाग के उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ बोलीदाता।

²³ पंजीकरण मॉड्यूल, निविदा का प्रकाशन, बोली प्रस्तुत करना, निविदा खोलना, तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय बोली खोलना, वित्तीय मूल्यांकन और संविदा प्रदान करना।

चार्ट 2.6.2: प्रकाशित निविदाओं की संख्या और निविदा मूल्य



स्रोत: ई-खरीद प्रणाली का डाटा

दिल्ली ई-गवर्नेंस सोसायटी एनआईसी (जीईपीएनआईसी) की सरकारी ई-खरीद प्रणाली के कार्यान्वयन से संबंधित व्यय को बोलीदाताओं से प्राप्त पंजीकरण शुल्कों²⁴ के माध्यम से सृजित निधियों से पूरा करती है। डीओआईटी ने बजट, व्यय और पंजीकरण शुल्क का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

मई 2011 से जनवरी 2015 तक की अवधि को शामिल करते हुए रा.रा.क्षे.दि.स. की ई-खरीद प्रणाली के कामकाज को मार्च 2015 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था।

2.6.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

2017-18 से 2022-23 तक की अवधि को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए की गई थी क्या:

ए) प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ई-खरीद प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू और कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

बी) व्यावसायिक नियमों को प्रणाली में पर्याप्त रूप से मैपिंग की गई है।

²⁴ डीओआईटी द्वारा ₹ 7,000 का पंजीकरण शुल्क तय किया गया (फरवरी 2012)।

सी) प्रणाली में डाटा की पूर्णता, सत्यता और विश्वसनीयता को बनाए रखा गया था और यह मूल्यांकन करने के लिए कि प्रणाली में पर्याप्त नियंत्रण बनाए गए हैं या नहीं।

डाटाबेस के विश्लेषण के अतिरिक्त, नमूना सत्यापन के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरणों (टीआईए) (अनुलग्नक 2.5) की 300 निविदाओं (अनुलग्नक 2.4) का चयन किया गया था। ई-खरीद पोर्टल से दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र किए गए और डाटाबेस का विश्लेषण एसक्यूएल और एक्सेल का उपयोग करके किया गया।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंड, कार्यक्षेत्र, नमूना और लेखापरीक्षा की पद्धति को 9 अक्टूबर 2023 को आयोजित एक प्रविष्टि सम्मेलन के माध्यम से रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ साझा किया गया था। प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए प्रतिवेदन का मसौदा सरकार को जारी की गई थी (फरवरी 2025)। सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है (जुलाई 2025)। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए मार्च 2025 में हितधारकों के साथ एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था। ई-खरीद प्रणाली के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों को आगामी पैराग्राफों में विस्तार से बताया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.6.3. ई-खरीद प्रणाली का कार्यान्वयन

रा.रा.क्षे.दि.स. के सभी विभागों में 1 मई 2011 से ₹ दो लाख से अधिक की सभी वस्तुओं, सेवाओं, कार्यों आदि की खरीद के लिए ई-खरीद प्रणाली को लागू करना अनिवार्य कर दिया गया। ई-खरीद का उद्देश्य निविदा चरणों जैसे निविदाओं का प्रकाशन, बोली, तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन और संविदा का अबंटन करना आदि को स्वचालित करना था। तथापि, यह देखा गया कि चयनित टीआईए द्वारा मैनुअल रूप से निविदाएं जारी करने के अतिरिक्त, मॉड्यूल की कुछ प्रमुख विशेषताएं प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने वाले वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं थीं, जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है:

- **ऑफलाइन ईएमडी प्रस्तुतीकरण:** यह देखा गया कि बयाना जमा राशि (ईएमडी) ऑफलाइन एकत्र किया गया था और ईएमडी भुगतान गेटवे को ई-खरीद पोर्टल में एकीकृत नहीं किया गया था। इससे सभी टीआईए द्वारा ई-खरीद प्रणाली के बाहर ईएमडी का ऑफलाइन संग्रह हुआ, जो डिजाइन स्तर नियंत्रण की कमजोरी का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन ईएमडी भुगतान गेटवे के गैर-एकीकरण से चयनात्मक बोली अयोग्यता और विलंबित प्रतिदाय का जोखिम होता है, जो अंततः ई-खरीद में प्रक्रिया सत्यता के सिद्धांत को विफल करता है। निर्गम सम्मेलन में, सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि ई-खरीद पोर्टल में ऑनलाइन ईएमडी संग्रह के लिए भुगतान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे थोड़े समय के भीतर समाविष्ट किया जाएगा।
- **तकनीकी मूल्यांकन में मैनुअल हस्तक्षेप:** बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को डाउनलोड करके और उसके पश्चात मूल्यांकन परिणामों को प्रणाली पर अपलोड करके टीआईए द्वारा तकनीकी बोली मूल्यांकन मैनुअल रूप से किया गया था। डिजाइन स्तर नियंत्रण में कमी होने के अतिरिक्त, इसमें चयनात्मक बोली को अयोग्य घोषित करने का जोखिम भी होता है।
- **प्रणाली के बाहर जारी निविदाएं:** जहां 2300 निविदाएं ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से प्रकाशित की गई थीं, तीन चयनित टीआईए द्वारा 2017-18 से 2022-23 के दौरान 1185²⁵ निविदाएं मैनुअल रूप से जारी की गई थीं। इस प्रकार, कुल निविदा मूल्य ₹ 524.74 करोड़²⁶ की 34 प्रतिशत निविदाएं ई-खरीद पोर्टल पर प्रकाशित नहीं की गई थीं। डीओआईटी के निर्देशों का उल्लंघन करने के अतिरिक्त, इसने प्रक्रिया में मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त करने और प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य को विफल कर दिया।
 - दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) और मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम)/मूल उपकरण

²⁵ 1185 = 146 (डीटीएल) + 1008 (पीपीसीएल) + 31 (डीटीआईडीसी)

²⁶ डीटीआईडीसी का निविदा मूल्य प्रदान नहीं किया गया

निर्माताओं से संबंधित अधिकृत आपूर्तिकर्ता ₹ 238.89 करोड़ मूल्य की 146 ऑफलाइन निविदाएं जारी कीं। डीटीएल ने कहा (मई 2025) कि आईसीबी की प्रकृति की जटिलता और संभावित बोलीदाताओं के पंजीकरण न होने के कारण आईसीबी निविदाओं में ऑफलाइन निविदा पद्धति अपनाई गई थी। इसके अतिरिक्त, डीटीएल ने कहा कि ओईएम मामलों में, बोलीदाताओं के पंजीकरण न होने के कारण ऑफलाइन निविदा की जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोलीदाताओं के पंजीकरण के पश्चात ई-खरीद प्रणाली के माध्यम से निविदा की जा सकती थी।

- दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) ने दुकानों के लाइसेंस से संबंधित सभी 31 निविदाएं ऑफलाइन जारी की थीं। अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2024), निगम ने आश्वासन दिया कि इन निविदाओं के पश्चात, सभी निविदाएं ई-खरीद पोर्टल पर जारी की जा रही थीं।
- ₹ 285.85 करोड़ मूल्य की सभी 1008 एकल निविदा पूछताछ इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड- प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीजीसी) द्वारा मैनुअल रूप से की गई थी। आईपीजीसी ने कहा (मार्च 2024) कि एकल निविदाएं जिनमें बोली केवल एक विक्रेता द्वारा प्रस्तुत की जानी थी, निदेशक मंडल (बीओडी) के निर्णय के अनुसार मैनुअल रूप से की गई थीं। तथापि, बीओडी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए है और इसलिए उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीओडी का निर्णय सरकार के आदेशों को रद्द नहीं कर सकता है।
- **पीडीएफ प्रारूप में बीओक्यू की मांग और वित्तीय मूल्यांकन में मैनुअल हस्तक्षेप:** 1,54,586 प्रकाशित निविदाओं के विश्लेषण से पता चला है कि मूल्यांकन के लिए एक्सेल प्रारूप में बीओक्यू टेम्पलेट के माध्यम से वित्तीय बोली लगाने के लिए एक समर्पित मॉड्यूल होने के बावजूद, टीआईए ने ऑनलाइन वित्तीय मूल्यांकन को दरकिनार करते हुए 1,743 निविदाओं (1.13 प्रतिशत) निविदा मूल्य ₹ 2,783.34 करोड़ के मामलों में पीडीएफ

प्रारूप में बोलियां मांगी हैं। इसका अर्थ था कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में उचित सत्यापन नियंत्रण का अभाव था कि टीआईए द्वारा आवश्यक प्रारूप में बोलियां मांगी जाती हैं। इससे प्रणाली के बाहर, मैनुअल रूप से किए गए गलत वित्तीय मूल्यांकन का जोखिम भी पैदा होता है - जिससे दुरभिसंधि की संभावना बढ़ जाती है। दो टीआईएकी तीन निविदाओं (डीटीटीडीसी में एक निविदा और कला कॉलेज में दो निविदाएं) में नमूना सत्यापन के दौरान भी इसकी पुष्टि की गई थी।

- **वित्तीय मूल्यांकन में व्यावसायिक नियमों की गैर-मैपिंग और मैनुअल हस्तक्षेप:** दो निविदाओं²⁷ में, टीआईए मॉड्यूल की वित्तीय मूल्यांकन प्रणाली में सम्मिलित नहीं किए गए अपने व्यावसायिक नियमों के आधार पर मैनुअल रूप से बोली रैंक बदल दी, और एल 2 बोलीदाताओं को संविदा प्रदान किए, जो डिजाइन स्तर नियंत्रण कमजोरी को दर्शाता है।
- **प्रणाली के बाहर बोली सूचना की आवश्यकता:** उपराज्यपाल (एलजी) सचिवालय के एक निविदा²⁸ (₹ 8.50 लाख मूल्य) में, एक खंड के अंतर्गत सभी बोलीदाताओं को संपर्क विवरण के साथ बोली प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के बारे में सचिवालय को ईमेल द्वारा सूचित करने की आवश्यकता थी, जिसमें विफल रहने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। पोर्टल के बाहर बोलियों की सूचना के ऐसे खंड मैनुअल हस्तक्षेप का कारण बन सकते हैं और निविदा प्रक्रिया को निष्फल कर सकते हैं।
- **बोली खोलने की तिथि के पश्चात ईएमडी की स्वीकृति:** डीटीटीडीसी में, ₹ 70 लाख मूल्य की निविदा के मामले में, 10 जनवरी 2020 को बोलीदाता से ₹ 3.50 लाख का ईएमडी प्राप्त हुआ था, जो बोली खोलने की तिथि अर्थात् 2 जनवरी 2020 से आठ दिन पश्चात था। एनआईटी के अनुसार बोली खोलने की तिथि के पश्चात ईएमडी की स्वीकृति अनियमित थी, जो डिजाइन स्तर नियंत्रण कमजोरी को दर्शाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईएमडी संग्रह ऑफ़लाइन था।

²⁷ डीएसईयू और एससीईआरटी के प्रत्येक निविदा के लिए क्रमशः ₹ 7.96 करोड़ और ₹ 19.50 लाख मूल्य के साथ प्रदान किए गए।

²⁸ टेंडर आईडी 2022_एलजीएस_226876_1

- **बोलीदाताओं की गलत अयोग्यता:** पीडब्ल्यूडी²⁹ द्वारा जारी ₹ 40 लाख मूल्य की एक निविदा में, सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद दो बोलीदाताओं को गलत तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
- **जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं करने वाले बोलीदाता को संविदा का अनियमित आबंटन:** ₹ 13.53 लाख के निविदा मूल्य वाले पीडब्ल्यूडी³⁰ की एक अन्य निविदा में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिस बोलीदाता को संविदा दिया गया था, उसने जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया।
- **अपर्याप्त वैधता के साथ बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को संविदा का अनियमित आबंटन:** जीएफआर 2017 के नियम 170 (i) में बोली की वैधता अवधि से 45 दिनों के पश्चात भी बोली प्रतिभूति को वैध रहने का आदेश दिया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 19.45 लाख की निविदा³¹ में, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2019 थी। तथापि, बोलीदाताओं में से एक ने 3 दिसंबर 2019 को एफडीआर के रूप में ईएमडी प्रस्तुत की, जिसकी वैधता अवधि 30 दिनों थी अर्थात् 2 जनवरी 2020 तक। इसलिए, बोली को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था और बोलीदाता को संविदा का आबंटन अनियमित था।
- **पोर्टल का उपयोगकर्ता अनुभव:** पोर्टल के वेबपेज में पोर्टल के सभी ओर नेविगेट करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करने वाला कोई खंड नहीं है। यह किसी भी नए बोलीदाताओं/विभागीय उपयोगकर्ताओं के लिए एक चुनौती होगी और इस प्रणाली की उपयोगिता में अनुकूलता होने को उस हद तक कम कर देगी।

इस प्रकार, बोलीदाताओं के साथ मैन्युअल हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ऑनलाइन बनाने के लिए डिज़ाइन की गई प्रणाली पारदर्शी नहीं थी और टीआईए द्वारा इसे दरकिनार कर दिया गया था।

²⁹ पीडब्ल्यूडी के एम-411 डिवीजन की निविदा आईडी 2022_पीडब्ल्यूडी_218817_1

³⁰ पीडब्ल्यूडी के एम-453 डिवीजन की निविदा 2017_पीडब्ल्यूडी_133186_1

³¹ निविदा आईडी 2019_डीपीजीएस_184681_1

यह आंशिक रूप से कार्यात्मक था जिसके लिए टीआईए की आवश्यकता के अनुसार मॉड्यूल को अनुकूलित करने की आवश्यकता थी।

इन मुद्दों के बारे में सरकार को सूचित किया गया (फरवरी 2025), उत्तर प्रतीक्षित है।

सिफारिशें:

2.6.1 सभी मॉड्यूल को सभी विभागों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक अनुकूलन के साथ प्रणाली के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए निर्दिष्ट समय अवधि में कार्यात्मक किया जाना चाहिए।

2.6.2 विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीआईए केवल ई-खरीद प्रणाली पर अवसीमा से ऊपर की निविदाएं जारी करें।

2.6.3 इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआईटी) के भीतर दिल्ली ई-गवर्नेंस सोसाइटी (डीईजीएस) को सभी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के उपयोग के संबंध में वित्त विभाग की निगरानी और रिपोर्ट करनी चाहिए।

2.6.4 ई-खरीद प्रणाली में व्यावसायिक नियमों की मैपिंग

ई-खरीद प्रणाली में लेनदेन की सटीकता, पूर्णता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक नियमों की मैपिंग आवश्यक है, क्योंकि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत खरीद प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं की पहचान और प्रलेखन की सुविधा प्रदान करता है।

ई-खरीद प्रणाली में बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पंजीकरण के लिए एक वैध स्थाई खाता संख्या (पैन), मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी आदि प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रणाली में व्यावसायिक नियमों जैसे नियम, प्रक्रियाएं और सत्यापन जांच आदि की मैपिंग का अभाव है, जैसा कि आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

(i) मॉड्यूल में विशिष्ट फ़ील्ड 'पैन' के लिए सत्यापन का अभाव

- डाटा के विश्लेषण से पता चला कि प्रणाली ने अनिवार्य पैन नंबर के बिना 66 बोलीदाताओं (कुल 50,903 पंजीकृत बोलीदाताओं³² में से) के

³² 'पंजीकृत' और 'डीएससी पंजीकृत' उपयोगकर्ता

पंजीकरण की अनुमति दी, जिनमें से 12 बोलीदाताओं ने 28 वैध बोलियों में भाग लिया। इनमें से, प्रणाली में ₹ 1.04 करोड़ के मूल्य की 5 बोलियों का डाटा था। यह प्रणाली में उपयोगकर्ता पंजीकरण के दौरान 'पैन नंबर' पर इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति और पैन सत्यापित बोलीदाताओं द्वारा बोली प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियंत्रण को उजागर करता है। इस तरह की नियंत्रण कमजोरी बोलीदाता मास्टर डाटा की सत्यता से समझौता करती है। एनआईसी ने मई 2024 में अपने उत्तर में कहा कि विदेशी बोलीदाताओं और उत्तर-पूर्वी राज्यों के कुछ बोलीदाताओं के पास पैन नहीं है, इसलिए प्रणाली पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान पैन प्रस्तुत करने को लागू नहीं करता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 29 भारतीय बोलीदाताओं के मामले में भी पैन उपलब्ध नहीं था। पूर्वोत्तर राज्यों के बोलीदाताओं के संबंध में, पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पैन अनिवार्य है।

- डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 146 पैन वाले बोलीदाताओं के पास आयकर विभाग³³ द्वारा निर्दिष्ट वैध विशेषताओं से मेल नहीं खाते थे। इनमें से 142 बोलीदाताओं को प्रणाली में पंजीकृत दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त, इनमें से 15 बोलीदाताओं ने 191 बोलियों³⁴ में भाग लिया। इन 191 बोलियों में से, प्रणाली में ₹ 41.85 करोड़ के बोली मूल्य वाली 170 बोलियों के लिए बोली मूल्य डाटा था। इसका तात्पर्य यह था कि प्रणाली में उपयोगकर्ता पंजीकरण के दौरान 'पैन नंबर' पर इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति दिखाते हुए अमान्य पैन के साथ बोलीदाताओं के पंजीकरण की अनुमति दी गई थी। एनआईसी ने कहा (मई 2024) कि कमी को दूर कर दिया गया है। तथापि, अनुपालन की तिथि, अपनाई गई प्रक्रिया और प्रणाली में किए गए सुधारों को सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था।
- डाटा विश्लेषण से पता चला है कि पंजीकरण के दौरान कई बोलीदाताओं (24,385 बोलीदाताओं) द्वारा 9,314 पैन नंबरों का उपयोग किया गया

³³ एक वैध पैन नंबर का चौथा वर्ण निम्नलिखित वर्णों में से कोई एक होना चाहिए: 'टी', 'एफ', 'एच', 'पी', 'सी', 'ए', 'बी', 'जी', 'जे', 'एल'

³⁴ 1 अप्रैल 2017 से 4 मई 2023 के बीच

था। इनमें से 2,062 बोलीदाताओं ने 951 पैन नंबरों का उपयोग करके बोली में भाग लिया। यह प्रणाली में पंजीकरण के दौरान विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए मैपिंग किए गए विशिष्ट 'पैन नंबर' को सुनिश्चित करने के लिए इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण था। इस समस्या पर, एनआईसी ने कहा (मई 2024) कि एक ही पैन/टैन का उपयोग एक ही कंपनी की विभिन्न शाखाओं द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, प्रणाली डुप्लिकेट पैन नंबर को बाहर करने में सक्षम नहीं हो सकता है, और यह एक व्यावसायिक आवश्यकता थी। एनआईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 4,234 मामलों (45 प्रतिशत) में पैन व्यक्तियों का था न कि कंपनियों/फर्मों का।

जीएफआर का नियम 175 (1) (i) (सी) किसी भी दुरभिसंधि, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार को प्रतिबंधित करता है जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और खरीद प्रक्रिया की प्रगति को बाधित कर सकता है। डाटा विश्लेषण से पता चला है कि ₹ 530.25 करोड़ के निविदा मूल्य वाली 45 निविदाओं में, बोलीदाताओं ने उसी निविदा में सामान्य पैन बोली के साथ पंजीकरण किया। इन 45 निविदाओं में 94 बोलीदाताओं ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 15 निविदाओं (₹ 80.45 लाख मूल्य की) में सभी बोलियां एक ही पैन के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं से प्राप्त की गई थीं। यह एक ही निविदा में एक ही पैन बोली के साथ बोलीदाताओं के बीच दुरभिसंधि का संकेत देता है। इस प्रकार, यह प्रणाली न केवल एक ही पैन रखने वाले कई उपयोगकर्ताओं को प्रणाली में पंजीकरण करने से प्रतिबंधित करने में विफल रही, बल्कि ऐसे बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति भी दी। यह प्रणाली में इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति सहित प्रणाली में प्रसंस्करण नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण था।

(ii) समान ईमेल आईडी का उपयोग

डाटा विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि 12,283 बोलीदाताओं ने केवल 5,658 ईमेल आईडी का उपयोग किया, जो संकेत देता है कि प्रणाली ने एक ही ईमेल आईडी (अनुलग्नक 2.6) के साथ कई बोलीदाताओं के पंजीकरण की अनुमति दी थी। यह प्रणाली में उपयोगकर्ता पंजीकरण के दौरान 'ईमेल आईडी'

पर इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण था, जो विशिष्टता सुनिश्चित करता था और बोलीदाता मास्टर डाटा की सत्यता से भी समझौता करता था। एनआईसी ने कहा (अक्टूबर 2024) कि प्रशासनिक सुविधा के लिए कुछ निगम/कंपनियां कई स्थानों पर काम करती हैं और एक ही ईमेल का उपयोग करना पसंद करती हैं, परंतु विभिन्न स्थानों/विभिन्न कर्मचारियों के लिए विभिन्न उपयोगकर्ता आईडी के साथ इसके लिए बोली लगाती हैं। एनआईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 12,283 बोलीदाताओं में से एक ही ई-मेल आईडी 5274 (43 प्रतिशत) व्यक्तिगत बोलीदाताओं से संबंधित थी, न कि कंपनियों/फर्मों से संबंधित और अभी भी कई पंजीकरण थे।

- डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 35 ईमेल आईडी विभागीय उपयोगकर्ताओं तथा बोलीदाताओं दोनों के लिए पंजीकृत किए गए थे। इनमें से 3 ईमेल आईडी का उपयोग बोलीदाताओं और विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा एक ही निविदा में किया गया था। यह प्रणाली में उपयोगकर्ता पंजीकरण के दौरान ई-मेल आईडी पर इनपुट सत्यापन नियंत्रण के अभाव के कारण बोलीदाताओं और टीआईए के बीच दुरभिसंधि का संकेत है। एनआईसी ने इस मुद्दे को स्वीकार कर लिया (अक्टूबर 2024) और कहा कि उपयुक्त जांच बिंदु को एप्लिकेशन के अगले संस्करण में सम्मिलित किया जाएगा।
- डाटा विश्लेषण से आगे पता चला है कि 38 निविदाओं (निविदा मूल्य: ₹ 2.52 करोड़) में, सभी बोलियां एक ही ईमेल आईडी के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा रखी गई थीं। इसने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की वस्तुओं की खरीद नियमावली के पैरा 7.6.8 में उल्लिखित संदिग्ध प्रतिपत्री बोली का संकेत दिया। इसके अतिरिक्त, ₹ 2,240.20 करोड़ मूल्य की अन्य 452 निविदाओं में, कम से कम दो बोलीदाताओं के पास एक ही ईमेल आईडी थी, जो बोलीदाताओं के बीच संदिग्ध दुरभिसंधि और इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति सहित प्रणाली में प्रसंस्करण नियंत्रण की अनुपस्थिति का संकेत देती थी। एनआईसी ने कहा (अक्टूबर 2024) कि दो भिन्न-भिन्न बोलीदाताओं के पास एक ही ईमेल आईडी का होना एक व्यावसायिक आवश्यकता है। यदि किसी कंपनी में, बोली दो कर्मचारियों

द्वारा नियंत्रित की जाती है और सूचना तथा ओटीपी किसी अन्य व्यक्ति के पास जाना चाहिए, तो उस स्थिति में, ईमेल उन बोलीदाताओं के लिए समान हो सकता है। तथापि, तथ्य यह है कि बोलीदाता की सुविधा के लिए निविदा प्रक्रिया खराब नहीं होनी चाहिए।

(iii) अमान्य/समान मोबाइल नंबर के साथ पंजीकृत विभागीय उपयोगकर्ता और बोलीदाता

- डाटा के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 50,861 पंजीकृत बोलीदाताओं से संबंधित 41,236 मोबाइल नंबरों³⁵ में से 46 मोबाइल नंबरों (46 बोलीदाताओं के) में 10 अंक नहीं थे और 473 मोबाइल नंबरों (522 बोलीदाताओं के) के पास ट्राई मानदंडों के अंतर्गत पहला अंक आवश्यक अंक 6, 7, 8 और 9 के अलग था, जो उन्हें अमान्य बना देता है। इनमें से 42 बोलीदाताओं ने ₹ 880.70 करोड़ के निविदा मूल्य के साथ 186 निविदाओं में भाग लिया और 189 बोलियां प्रस्तुत कीं। इस प्रकार की नियंत्रण कमजोरी बोलीदाता मास्टर डाटा की सत्यता से समझौता करती है और प्रणाली में उपयोगकर्ता पंजीकरण के दौरान 'मोबाइल नंबर' पर इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति को दर्शाती है।
- 4,981 अलग-अलग मोबाइल नंबरों के साथ 6,048 विभागीय उपयोगकर्ताओं के मामले में, 5 मोबाइल नंबर ऐसे थे जिनमें 10 अंक नहीं थे और 11 मोबाइल नंबरों में पहला अंक ट्राई द्वारा निर्दिष्ट अंक से अलग था। यह प्रणाली में उपयोगकर्ता पंजीकरण के दौरान 'मोबाइल नंबर' पर इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति को उजागर करता है। एनआईसी ने कहा (अक्टूबर 2024) कि 'भारतीय नंबरों के लिए मोबाइल नंबर के अंकों की संख्या' से संबंधित कमी को दूर कर दिया गया है। तथापि, प्रणाली में अनुपालन और सुधार की तिथि लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, मोबाइल नंबर के पहले अंक की जांच से संबंधित मुद्दे का समाधान किया जाना शेष है।

³⁵ बिना आईएसडी कोड वाले नंबरों को भारतीय नंबर माना गया है

- विश्लेषण से पता चला कि 16,582 बोलीदाताओं को पंजीकृत करने के लिए 6,957 मोबाइल नंबरों का उपयोग किया गया था। यह देखा गया कि एक मोबाइल नंबर के प्रति पंजीकृत बोलीदाताओं की संख्या 2 से 28 के बीच थी। इसके अतिरिक्त, 948 मोबाइल नंबरों का उपयोग करने वाले 2,048 बोलीदाताओं ने बोली में भाग लिया, जो प्रणाली में उपयोगकर्ता पंजीकरण के दौरान प्रत्येक बोलीदाता/उपयोगकर्ता के लिए अलग-अलग 'मोबाइल नंबर' सुनिश्चित करने वाले इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति को दर्शाता है।

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि ₹ 44.99 करोड़ मूल्य की 411 निविदाओं में, सभी बोलियां समान मोबाइल नंबरों के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं से प्राप्त की गईं। इसके अतिरिक्त, अन्य 1704 निविदाओं (₹ 3,333 करोड़ के निविदा मूल्य के साथ) में, कम से कम दो बोलीदाता सामान्य मोबाइल नंबरों के साथ पंजीकृत थे। इससे एक ही निविदा में एक ही मोबाइल नंबर के साथ बोलीदाताओं के बीच दुरभिसंधि का संदेह पैदा होता है।

यह भी देखा गया कि विभागीय उपयोगकर्ताओं सहित बोलीदाताओं के प्रति पंजीकृत 52 मोबाइल नंबरों में से 3 मोबाइल नंबरों का उपयोग बोलीदाताओं सहित विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा पंजीकरण के लिए किया गया था, जिन्होंने उसी टीआईए की निविदाओं में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, इन तीन मोबाइल नंबरों में से, एक मोबाइल नंबर ऐसा था जो बोलीदाताओं और विभागीय उपयोगकर्ताओं दोनों के प्रति पंजीकृत था, जिन्होंने समान निविदाओं में भाग लिया था। इससे बोलीदाताओं और विभागीय उपयोगकर्ताओं के बीच संदिग्ध दुरभिसंधि का संकेत मिलता है। इसने इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति सहित प्रणाली में प्रसंस्करण नियंत्रण की अनुपस्थिति का भी संकेत दिया।

- डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 24,525 उपयोगकर्ताओं से संबंधित 20,389 मोबाइल नंबरों में आईएसडी कोड निरंक था, तथापि डाटाबेस में पंजीकरण के लिए एक अनिवार्य क्षेत्र था, जो प्रणाली में इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति को दर्शाता है। एनआईसी ने कहा (अक्टूबर 2024) कि कमी को दूर कर दिया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा

में सत्यापन के लिए प्रणाली में अनुपालन और सुधार का ब्योरा नहीं दिया गया था।

(iv) बोलीदाताओं और विभाग द्वारा एक ही आईपी पते का उपयोग

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 'वस्तु की खरीद के लिए नियमावली 2017' के पैरा 7.5.13 में कहा गया है कि सभी तकनीकी, वाणिज्यिक और वित्त अधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से खरीद से निपटना चाहिए और खरीद में सम्मिलित किसी भी बोलीदाता के साथ हितों का कोई टकराव नहीं होना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोली लगाने के लिए बोलीदाताओं द्वारा एक ही आईपी पते का उपयोग किया गया था, जिसका उपयोग उसी टीआईए के विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा भी किया गया था, जो विभागीय उपयोगकर्ताओं और बोलीदाताओं के बीच हितों के टकराव को दर्शाता है।

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 7,181 निविदाओं (₹ 3,217.44 करोड़ के निविदा मूल्य के साथ) से संबंधित 14,527 वैध बोलियों³⁶ के मामले में, बोलीदाताओं ने उसी आईपी पते का उपयोग किया, जिसका उपयोग निविदा प्रक्रिया के दौरान विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा भी किया गया था। इसमें ₹ 2,114.87 करोड़ मूल्य की 2,519 निविदाएं सम्मिलित थीं, जिसमें इन निविदाओं में सभी वैध बोलियां (8,654 वैध बोलियां) विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले आईपी पते का उपयोग करके रखी गई थीं। यह भी देखा गया कि 14,527 बोलियों में से 181 के मामले में, ₹ 102.28 करोड़ की राशि की संविदा का आबंटन भी किया गया था। संविदाओं के आबंटन दी गई बोलियों की वास्तविक संख्या से अधिक हो सकती है क्योंकि अन्य निविदाएं भी हो सकती हैं, जिनका विवरण पोर्टल पर अद्यतित नहीं किया गया था।

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 24,118 निविदाओं³⁷ (₹ 11,305.69 करोड़ के निविदा मूल्य के साथ) में से 6,978 (₹ 2,644.43 करोड़ का मूल्य) में बोलीदाताओं द्वारा एक ही आईपी पते का उपयोग करके बोलियां प्रस्तुत की गई थीं। कुल 2,616 बोलीदाताओं ने 6,978 निविदाओं में 3,212 आईपी पते

³⁶ इन 7,181 निविदाओं में कुल 41,102 वैध बोलियां लगाई गईं।

³⁷ एक ही आईपी पते के साथ कम से कम दो बोलियां होना।

का उपयोग करके 18,221 बोलियां लगाईं। प्रणाली में समान आईपी का उपयोग करने वाले इन संदिग्ध बोलीदाताओं पर टीआईए को कोई अलर्ट नहीं था। उपर्युक्त में संदिग्ध दुरभिसंधि/प्रतिपत्री बोली का संकेत दिया गया है।

(v) जन्म तिथि विवरण के बिना पंजीकरण

अवयस्क बोलीदाताओं और सेवानिवृत्त विभागीय उपयोगकर्ताओं को निविदा प्रक्रिया का हिस्सा बनने से रोकने के लिए जन्म की सही तिथि आवश्यक है। डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 50,903 पंजीकृत बोलीदाताओं में से 29 बोलीदाताओं की जन्म तिथि का विवरण उपलब्ध नहीं था, जब कि 30 बोलीदाताओं के मामले में यह उचित प्रारूप में नहीं था। इसी प्रकार, सात³⁸ विभागीय उपयोगकर्ताओं की जन्म तिथि रिक्त/उचित प्रारूप में नहीं थी। इससे प्रणाली में आवश्यक इनपुट सत्यापन नियंत्रण की कमी का संकेत मिलता है। एनआईसी ने कहा (अक्टूबर 2024) कि 'न्यूनतम आयु' से संबंधित कमी को एक अनिवार्य क्षेत्र बनाकर ठीक कर दिया गया है, तथापि प्रणाली में अनुपालन और सुधार की तिथि लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, एनआईसी ने कहा कि 'अधिकतम आयु' की समस्या को एप्लिकेशन के आगामी संस्करण में हल किया जाएगा।

(vi) विभागीय उपयोगकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रणाली में लॉग इन किया

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि सात विभागीय उपयोगकर्ताओं ने अपनी सेवानिवृत्ति तिथि के पश्चात भी प्रणाली में लॉग-इन किया था। इनमें से दो उपयोगकर्ताओं ने बोलियां खोलकर और उनका मूल्यांकन करके निविदा प्रक्रिया में भाग लिया। नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि तीन में से दो विभागीय उपयोगकर्ताओं (दो टीआईए में) ने बोलियों को खोलने, मूल्यांकन करने और डिफ्रिंट करके निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था। इससे यह संकेत मिलता है कि सेवानिवृत्त उपयोगकर्ताओं के लॉगिन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली में कोई उपयोग नियंत्रण नहीं था और निविदा प्रक्रिया में

³⁸ एक उपयोगकर्ता के पास रिक्त जन्मतिथि थी और छः उपयोगकर्ता उचित प्रारूप में नहीं थे।

सेवानिवृत्त उपयोगकर्ताओं की भागीदारी को रोकने के लिए प्रणाली में प्रक्रमण नियंत्रण का भी अभाव था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभागीय उपयोगकर्ताओं की सेवानिवृत्ति तिथि प्रणाली में संग्रहीत नहीं की गई थी। तथापि, डाटा विश्लेषण से पता चला कि सेवानिवृत्ति की आयु साठ वर्ष मानते हुए, 347 विभागीय उपयोगकर्ता ऐसे थे जिन्होंने सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रणाली में लॉग इन किया था।

(vii) बोलीदाताओं का अनुचित पंजीकरण और अमान्य डीएससी के साथ दस्तावेज़ों को अपलोड करना

- 194 बोलीदाताओं से संबंधित 200³⁹ प्रमाणपत्रों की नमूना जांच से पता चला कि 10 डीएससी प्रमाणपत्रों में बोलीदाताओं के नाम ई-खरीद पोर्टल पर पंजीकृत नामों से मेल नहीं खाते। इसके अतिरिक्त, 95 विभागीय उपयोगकर्ताओं से संबंधित 100⁴⁰ प्रमाणपत्रों की नमूना जांच से पता चला कि 3 डीएससी प्रमाणपत्रों में विभागीय उपयोगकर्ताओं के नाम ई-खरीद पोर्टल पर पंजीकृत नामों से मेल नहीं खाते थे। इससे संकेत मिला कि डीएससी के पंजीकरण के समय बोलीदाताओं और विभागीय उपयोगकर्ताओं के नाम मान्य नहीं किए गए थे और प्रणाली में उचित इनपुट सत्यापन प्रक्रिया नियंत्रण के माध्यम से जीईपीएनआईसी उपयोगकर्ता के साथ डीएससी की मैपिंग का अभाव था। इसका अर्थ यह भी था कि गैर-अस्वीकरण की अनिवार्य विशेषता प्रणाली द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई थी।
- डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 50 मामलों में, 12 निविदाओं (₹ 2.59 करोड़ के निविदा मूल्य के साथ) में 10 बोलीदाताओं द्वारा उनके डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की वैधता समाप्त होने के पश्चात 42 दस्तावेज़ अपलोड किए गए थे। दस्तावेज़ अपलोड करने की तिथि और डीएससी वैधता तिथि के बीच समय का अंतर लगभग 1 मिनट से 13 घंटे तक था। यह बोलीदाताओं को अमान्य डीएससी के

³⁹ 28,399 प्रमाणपत्रों में से 9,873 डीएससी पंजीकृत बोलीदाताओं से संबंधित हैं।

⁴⁰ 4,176 प्रमाणपत्रों में से 1,092 डीएससी पंजीकृत उपयोगकर्ताओं से संबंधित हैं।

साथ दस्तावेज अपलोड करने से रोकने के लिए प्रणाली की विफलता का संकेत देता है।

- 'पंजीकृत' स्थिति ई-खरीद पोर्टल पर उपयोगकर्ता के पंजीकरण को दर्शाती है, जब कि 'डीएससी पंजीकृत' का अर्थ है पोर्टल पर उपयोगकर्ता के पंजीकरण सहित उसका डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 32 उपयोगकर्ताओं (2 विभागीय उपयोगकर्ता और 30 बोलीदाता) से संबंधित 38 प्रमाणपत्रों के मामले में, जिन उपयोगकर्ताओं के डीएससी ई-खरीद पोर्टल पर पंजीकृत थे, उन्हें 'डीएससी पंजीकृत' के स्थान पर 'पंजीकृत' के रूप में दर्शाया गया था। इसी तरह, 41 उपयोगकर्ताओं (4 विभागीय उपयोगकर्ता और 37 बोलीदाता) की स्थिति को 'डीएससी पंजीकृत' के रूप में दर्शाया गया है, तथापि उनके डीएससी की अवधि समाप्त हो गई थी। यह न केवल प्रणाली में डाटा की असंगतता को दर्शाता है, बल्कि यह सत्यापन नियंत्रण को अभाव में डाटा की सत्यता को भी प्रभावित कर सकता है।

(viii) निविदा के प्रकार पर इनपुट सत्यापन का अभाव

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 227 निविदाएं ऐसी थीं जिनमें जीएफआर 2017 के नियम 139 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खुली निविदा के स्थान पर सीमित निविदा पद्धति अपनाई गई थी, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कार्यों का अनुमानित मूल्य ₹ पांच लाख तक होने पर सीमित निविदा जांच अपनाई जा सकती है।

132 इको टास्क फोर्स (वन विभाग के अंतर्गत) की चार निविदाओं और ₹ पांच लाख से अधिक के निविदा मूल्य वाले व्यापार और कर विभाग की एक निविदा की नमूना जांच से यह भी पता चला है कि जीएफआर 2017 के नियम 139 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खुली निविदा के स्थान पर सीमित निविदा पद्धति अपनाई गई थी, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि जब कार्यों का अनुमानित मूल्य ₹ पांच लाख तक हो तो सीमित निविदा जांच अपनाई जा सकती है। इससे पता चलता है कि निविदा के मूल्य के आधार पर चयनित 'निविदा प्रकार' पर प्रणाली में इनपुट सत्यापन नियंत्रण का अभाव है।

विभाग ('132 इको टास्क फोर्स') ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2024) कि निविदा को सीमित रूप से अपनाना गलत था, तथापि, उसके पश्चात सभी

निविदाएं खुली निविदा के माध्यम से जारी की गईं। व्यापार और कर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है।

(ix) बोली प्रस्तुत करने में अनियमितताएं

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 161 (vi) के अनुसार, सामान्यतः निविदा सूचना के प्रकाशन या बिक्री के लिए बोली दस्तावेज की उपलब्धता की तिथि जो भी बाद में हो, से तीन सप्ताह तक बोलियां प्रस्तुत करने की न्यूनतम समयावधि होनी चाहिए। नियम में आगे यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहाँ विभाग विदेशों से बोलियां प्राप्त करने पर भी विचार करता है, घरेलू और विदेशी दोनों बोलीदाताओं के लिए न्यूनतम अवधि चार सप्ताह रखी जानी चाहिए।

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 1,54,533 गैर-वैश्विक निविदाओं में से 1,46,082 में अर्थात् निविदाओं का 94.5 प्रतिशत (₹ 53,966.48 करोड़ मूल्य) में, बोली प्रस्तुत करने के लिए अनुमत समय 3 सप्ताह⁴¹ से कम था। यह उल्लेख करना उचित है कि ₹ 8,344.79 करोड़ मूल्य की 57,785 निविदाओं में, बोली प्रस्तुत करने का समय सात दिनों से कम था। निविदाओं की संख्या के प्रति बोली प्रस्तुत करने के लिए अनुमत दिनों की संख्याओं का विवरण तालिका 2.6.1 में दिया गया है।

तालिका 2.6.1: बोली प्रस्तुत करने के लिए अनुमत दिनों की संख्या

बोली प्रस्तुत करने के लिए अनुमत दिनों की संख्या	निविदाओं की संख्या
2-3	1
3-6	18,784
6-9	77,048
9-12	23,865
12-15	14,897
15-18	6,801
18-21	4,686
कुल	1,46,082

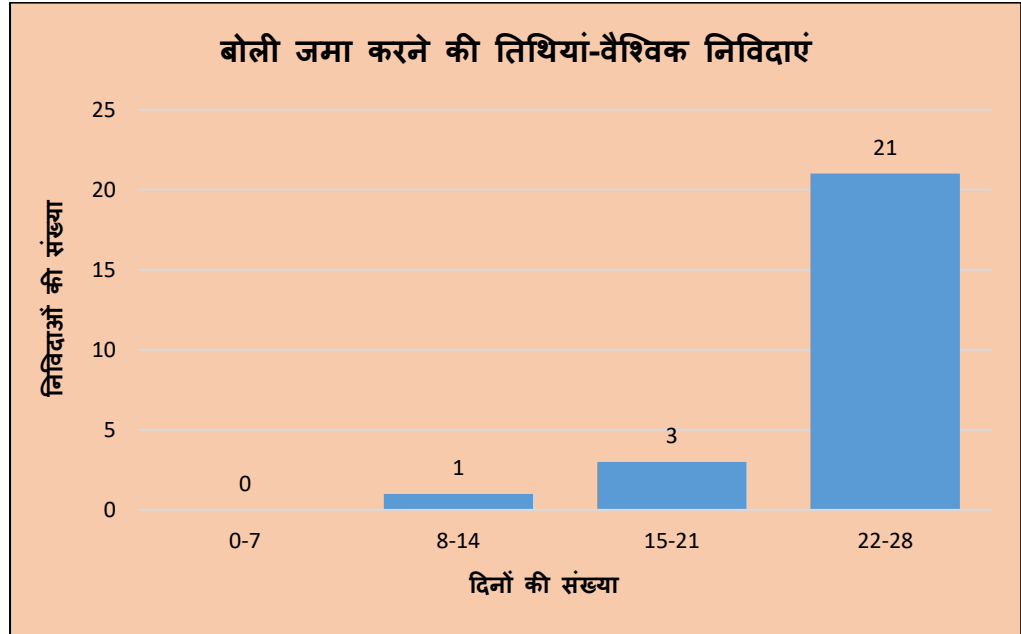
स्रोत: ई-खरीद प्रणाली का डाटा

इसी प्रकार, 53 वैश्विक निविदाओं में से 25 (कुल वैश्विक निविदाओं का 47.2 प्रतिशत) में, जिनका निविदा मूल्य ₹ 132.42 करोड़ था, बोली प्रस्तुत

⁴¹ जब "बोली जमा करने की अंतिम तिथि" की तुलना 2 तिथियों में से बाद की तिथियों से की जाती है: "प्रकाशित तिथि" और "दस्तावेज बिक्री शुरू होने की तिथि" अनुमत न्यूनतम समय लगभग 10 दिन था।

करने के लिए 4 सप्ताह⁴² से कम समय दिया गया था। यह उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत निर्धारित बोली प्रस्तुत करने की समयसीमा के विरुद्ध था। बोली प्रस्तुत करने के दिनों की संख्या के प्रति वैश्विक निविदाएं नीचे चार्ट 2.6.3 में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 2.6.3: वैश्विक निविदाएं - बोली जमा करने के दिनों की संख्या



स्रोत: खरीद प्रणाली का डाटा

उपर्युक्त इस बात को दर्शाता है कि ई-खरीद प्रणाली में निर्धारित न्यूनतम बोली जमा करने से संबंधित नियंत्रणों का प्रावधान नहीं था। बोली जमा करने का समय कम होने से प्रतिस्पर्धा की कमी या प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति निविदा औसत बोलीदाताओं की संख्या कम हो सकती है। डाटा विश्लेषण पर, यह पता चला कि जांच अवधि के दौरान प्रति निविदा बोलियों की औसत संख्या में वृद्धि नहीं हुई, जो 3.54 और 5.88 के बीच रही जिसमें औसत 4.23 बोलियां थी (4 मई 2023 तक)।

(x) तकनीकी मूल्यांकन से पूर्व वित्तीय पैकेटों को डीक्रिप्ट करना

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि ₹ 2.04 करोड़ मूल्य की तीन निविदाओं के मामले में, सामान्य वित्तीय नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए तकनीकी पैकेट से पहले वित्तीय पैकेट को डीक्रिप्ट कर दिया गया था। इसका

⁴² जब "बोली जमा करने की अंतिम तिथि" की तुलना 2 तारीखों में से बाद की तारीखों से की जाती है: "प्रकाशित तिथि" और "दस्तावेज़ बिक्री शुरू होने की तारीख". अनुमत न्यूनतम समय लगभग 10 दिन था।

कारण यह था कि प्रणाली में उचित प्रसंस्करण नियंत्रण का अभाव था जिसके कारण इस तरह की विसंगति उत्पन्न हुई और डाटा की सत्यता पर प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, संबंधित लॉग के अभाव में, पैकेटों के बैक-एंड में की गई हेराफेरी से संबंधित मुद्दे का विश्लेषण नहीं किया जा सका।

(xi) वित्तीय बोली खोलने के पश्चात एल1 बोलीदाता की तकनीकी बोली को अस्वीकार करना

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि दो निविदाओं⁴³ के मामले में, वित्तीय अवधि के दौरान बोलियों को तकनीकी मानदंडों को पूरा न करने का कारण बताते हुए अस्वीकार कर दिया गया था परंतु गलती से उन्हें खोल दिया/स्वीकार कर लिया गया था। यह वित्तीय बोली खोलने से पूर्व तकनीकी मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। एओसी की स्थिति का पता लगाने के लिए इन निविदाओं की संविदा का आबंटन (एओसी) संबंधी विवरण प्रणाली में उपलब्ध नहीं थे।

क्षेत्रीय दौरों के दौरान, लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण मिले जहाँ बोली एक ही पंजीकृत ईमेल, फोन नंबर, पैन और एक ही आईपी पते के आधार पर अधिक बोली लगाने का संदेह था जहाँ से बोलीदाताओं द्वारा बोलियां लगाई गई थी।

इस प्रकार, प्रणाली कार्यात्मक कमियों से ग्रस्त थी और प्रणाली में व्यावसायिक नियमों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन जांच का अभाव था। यह संदिग्ध दुरभिसंधि के मामलों का पता नहीं लगा सका और सामान्य मोबाइल नंबरों, आईपी पते और ई-मेल आईडी आदि के उपयोग के संबंध में बोली को कवर नहीं कर सका, जो संभावित कार्टेल गठन और अनुचित निविदा प्रक्रिया के लिए एक खतरे का सूचक है।

इन मुद्दों की जानकारी सरकार को दी गई थी (फरवरी 2025), उत्तर प्रतीक्षित है।

सिफारिशें:

2.6.4 मौजूदा व्यावसायिक नियमों जैसे जीएफआर, खरीद नियमावली आदि को ई-खरीद प्रणाली में सख्ती से मैप किया जाना चाहिए।

⁴³ निविदा आईडी '2023_डीजेबी_234817_2' और '2022_डीजेबी_232440_3'

2.6.5 बोलीदाताओं और विभागीय उपयोगकर्ताओं के बीच दूरभिसंधि के संदिग्ध के मामलों में सतर्कता जांच की जानी चाहिए।

2.6.6 खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत सत्यापन नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बोलीदाताओं की साझा साख को उजागर करने के लिए प्रणाली स्तर के अलर्ट तैयार किए जाने चाहिए।

2.6.5 प्रणाली में डाटा की सत्यता और विश्वसनीयता

डाटा की सत्यता, सूचना की सटीकता और पूर्णता सहित व्यावसायिक मूल्यों और अपेक्षाओं के अनुसार इसकी वैधता से संबंधित है। लेखापरीक्षा ने प्रणाली की डाटा सत्यता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के नियंत्रण तंत्र में कमियां देखीं, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

- **संविदा के आबंटन (एओसी) मॉड्यूल का अपूर्ण उपयोग:** चयनित बोलीदाता के कार्य के आबंटन का विवरण अपलोड करने के लिए एक समर्पित संविदा आबंटन (एओसी) मॉड्यूल होने के बावजूद, डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 1,54,586 निविदाओं में से, केवल 5363 निविदाओं (3.47 प्रतिशत) जिनका निविदा मूल्य ₹ 3,254.68 करोड़ था, में ही एओसी विवरण उपलब्ध थे। डाटा के विश्लेषण के दौरान, यह भी देखा गया कि प्रणाली में एओसी विवरण वाली 5,363 निविदाओं में से भी, 5 निविदाओं के मामले में उन बोलीदाताओं का विवरण उपलब्ध नहीं था जिन्हें ये निविदाएं आबंटित की गई थीं। 7 निविदाओं के मामले में प्रणाली में विभिन्न डाटाबेस तालिकाओं में निविदा चरण और बोली की स्थिति असंगत थी। इसने ई-खरीद प्रणाली की प्रभावशीलता को सीमित कर दिया, और उत्पन्न प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रतिवेदन विश्वसनीय नहीं था तथा उनमें वास्तविक समय का डाटा नहीं था इसलिए निगरानी के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। इस कमी की पुष्टि एलजी सचिवालय⁴⁴ और दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू)⁴⁵ में नमूना जांच के दौरान हुई।

⁴⁴ निविदा आईडी '2022_एलजीएस_230768_1'

⁴⁵ निविदा आईडी '2022_डीएसईयू_219603_1'

- निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन संबंधी विवरण को उद्यतन नहीं किया गया: डाटा विश्लेषण से पता चला कि निविदाओं के सभी चरणों का विवरण प्रणाली में अद्यतित नहीं किया जा रहा था। नीचे दी गई तालिका 2.6.2 में निविदाओं की संख्या सहित उनके अंतिम अद्यतित निविदा चरण को दर्शाती है:

तालिका 2.6.2: चरण-वार निविदाओं की संख्या

निविदा चरण	निविदाओं की संख्या	निविदाओं का प्रतिशत
खोला जाना है	20,774	13.44
तकनीकी खोला गया	7,817	5.06
तकनीकी मूल्यांकन किया गया	9,445	6.11
वित्तीय खोला गया	64,012	41.41
वित्तीय मूल्यांकन किया गया	47,182	30.52
एओसी (अर्थात् संविदा का आबंटन)	5,356	3.46
कुल	1,54,586	100.00

स्रोत: ई-खरीद प्रणाली का डाटा

उपर्युक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि केवल 34 प्रतिशत निविदाओं (अर्थात् 30.52 + 3.46) के वित्तीय मूल्यांकन विवरण को प्रणाली में अद्यतित किया गया था। इससे संकेत मिलता है कि प्रणाली में अधिकांश निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन विवरण को अद्यतित नहीं किया गया है। लगभग 41 प्रतिशत निविदाएं ऐसी थीं जो वित्तीय रूप से खोली गई थीं, परंतु उनके वित्तीय मूल्यांकन विवरण को प्रणाली में अद्यतित नहीं किया गया था। इस प्रकार, एमआईएस रिपोर्ट सही और निष्पक्ष जानकारी नहीं दिखाएगी।

- गलत टीआईए के प्रति निविदाओं की मैपिंग की गई: डाटा विश्लेषण से पता चला है कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एंड एफसीडी) की ₹ 1,106.04 करोड़ के निविदा मूल्य वाली 497 निविदाओं को संभागीय स्तर पर गलत निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों (टीआईए) के प्रति मैप किया गया था। इस प्रकार, गलत मैपिंग के कारण, प्रणाली ऐसे मामलों में सही और विश्वसनीय एमआईएस रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकती है। उपर्युक्त विसंगति आई एंड एफसीडी में तीन चयनित निविदाओं⁴⁶

⁴⁶ निविदा आईडी नंबर 236954, 241506 और 243408

की नमूना जांच के दौरान भी देखी गई। मामले की जानकारी विभाग को दी गई थी (सितंबर 2024), उत्तर प्रतीक्षित है।

- निविदा मूल्यांकन के दौरान अप्रासंगिक और अपूर्ण दस्तावेज अपलोड किए गए:** निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा निविदा मूल्यांकन के प्रत्येक चरण से संबंधित प्रासंगिक और पूर्ण दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा में 9 निविदाओं से संबंधित 10 ऐसे दस्तावेज देखे गए जिनमें मूल्यांकन सारांश/बोलियां खोलने से संबंधित दस्तावेज बिना किसी संबंधित विवरण के अपलोड किए गए थे। एक मामले में, केवल 'मूल्य बोली खोली गई' का उल्लेख किया गया था, जब कि अन्य मामलों में, मूल्यांकन सारांश के बिना केवल विभागीय उपयोगकर्ताओं का पदनाम या नाम दिए गए थे। यह प्रणाली के बाहर मैनुअल रूप से की गई निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया के कारण था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रणाली में उचित सत्यापन नियंत्रण सम्मिलित नहीं किया जा सका।
- निविदा मूल्य और बीओक्यू डाटा में विसंगति:** यह देखा गया कि डाटाबेस में टीआईए द्वारा तैयार की गई कुल बीओक्यू अनुमानित लागत, बोलीदाताओं द्वारा दर्ज की गई कुल बोली राशि और निविदा प्रसंस्करण का पूरा विवरण सुनिश्चित करने के लिए तुलनात्मक विवरण में सौंपी गई प्रणाली-जनित रैंक को संग्रहीत नहीं किया गया था। प्रणाली में निविदा मूल्य और बीओक्यू में भी विसंगति पाई गई। 3,692 निविदाएं ऐसी थीं जिनमें अंतर ₹ एक से अधिक था और एक निविदा में यह अंतर ₹ 274.60 करोड़ था। इसका अर्थ यह था कि प्रणाली में निविदा मूल्यों को पंजीकृत करते समय टीआईए में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में दो डाटासेट के बीच डाटा में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उचित सत्यापन नियंत्रण नहीं था।
- टीआईए द्वारा बोलीदाताओं से निविदा शुल्क की अनधिकृत वसूली:** डाटा विश्लेषण से पता चला है कि विभाग द्वारा कृत कार्रवाई टिप्पणी के माध्यम से यह आश्वासन दिए जाने (मार्च 2021 में) के बावजूद कि

सभी टीआईए को निविदादाताओं से निविदा शुल्क न लेने और एनआईसी को निविदा में संशोधन करने के निर्देश जारी किए गए थे (1 जनवरी 2019), टीआईए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोलीदाताओं से निविदा शुल्क वसूल रहे थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 जनवरी 2019 से 4 मई 2023 तक प्रकाशित निविदाओं में से, 188 टीआईए ने 47,876 निविदाओं में से ₹ 23,408.03 करोड़ मूल्य की 1,63,411 बोलियों से निविदा शुल्क वसूला था। इससे विभाग द्वारा अपने ही निर्देशों की निगरानी में ढिलाई का संकेत मिलता है। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में निविदाओं को प्रकाशित करते समय निविदा प्रकाशकों को निविदा शुल्क का अनुरोध करने से रोकने के लिए प्रणाली को भी संरूपित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, निविदाओं की गलत मैपिंग, प्रणाली में गलत/अपूर्ण इनपुट और टीआईए को जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन की कमी के कारण, प्रणाली में डाटा की विश्वसनीयता और सत्यता से समझौता हुआ जो अपर्याप्त अंतर्निहित नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

इन मुद्दों के बारे में सरकार को सूचित किया गया (फरवरी 2025), उत्तर प्रतीक्षित है।

सिफारिश:

2.6.7 मजबूत और सुरक्षित ई-खरीद प्लेटफॉर्मों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ई-खरीद प्रणाली में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और जांच करके डाटा की पूर्णता और शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

लोक निर्माण विभाग

2.7 जल निकासी से संबंधित विचलित मात्राओं पर ₹ 5.63 करोड़ का परिहार्य भुगतान

कार्य निष्पादन के दौरान, जल निकासी कार्यों के लिए तीन मदों की अनुमानित मात्रा में 108 प्रतिशत से 2,545 प्रतिशत तक वृद्धि करनी पड़ी। मात्रा में भारी परिवर्तन अनुबंध में ली गई मात्राओं में त्रुटियों के कारण था, जो प्रत्यक्ष तौर पर उपमृदा जल की गहराई और गुणांक से संबंधित था। अनुमानित मात्रा का पता लगाने में वित्तीय विवेक और उचित सावधानी न बरतने के कारण विचलन अनुबंध के अनुसार अनुमत सीमा से अधिक हो गया और ₹ 5.63 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 21 (i) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक धन से किए गए व्यय के संबंध में उतनी ही सतर्कता बरतेगा, जितनी एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय में बरतता है। सीपीडब्ल्यूडी नियमावली की धारा 3.1.1.6 निविदाएं आमंत्रित करने से पूर्व नीव केंद्र भू-तकनीकी जांच प्रतिवेदन और संरचनात्मक रेखा चित्र और अधिरचना के प्रारंभिक संरचनात्मक रेखा चित्रों सहित तकनीकी स्वीकृति जारी करने का प्रावधान करती है ताकि मदों की मात्रा की गणना की जा सके। इसके अतिरिक्त, नियमावली की धारा 5.11 के अनुसार, संविदा की अनुसूची एफ में निर्दिष्ट सीमा से परे अतिरिक्त मदों, प्रतिस्थापन मदों और संविदा मदों में विचलन की दरें सामान्य शर्तों के प्रावधानों पर आधारित होंगी।

लोक नायक अस्पताल में चिकित्सा, प्रसूति और उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र के लिए नए ब्लॉक के निर्माण के सिविल कार्य को लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹ 347.83 करोड़ की तकनीकी मंजूरी दी गई (4 नवंबर 2019)। इस अनुमान में निर्माण के दौरान जल स्तर बनाए रखने के लिए जल निकासी से संबंधित तीन मदों के लिए ₹ 65.82 लाख का प्रावधान सम्मिलित था।

केंद्रीय अस्पताल परियोजना प्रभाग के कार्यपालक अभियंता के अभिलेखों की जांच से पता चला कि कार्य 13 अक्टूबर 2020 (संविदा संख्या 4 2020-21)

को एक संविदाकार को ₹ 465.53 करोड़ (सिविल- ₹ 328.75 करोड़ और विद्युत कार्य- ₹ 136.78 करोड़) की लागत से आबंटित किया गया था, जिसमें काम शुरू होने और पूरा होने की निर्धारित तिथियां क्रमशः 4 नवंबर 2020 और 3 मई 2023 थीं। संविदाकार को 29वें रनिंग अकाउंट बिल तक संविदाकार को ₹ 167.36 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था (जल निकासी की तीन मर्दों के लिए किए गए भुगतान भी शामिल हैं)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य के निष्पादन के दौरान जल निकासी कार्यों के लिए तीन मर्दों की अनुमानित मात्रा क्रमशः 4,190 घन मीटर, 67,550 मीटर और 5,472 घन मीटर से बढ़कर 8,720.31 मीटर (108 प्रतिशत), 4,14,335.69 मीटर (513 प्रतिशत) और 1,44,753.72 मीटर (2545 प्रतिशत) हो गई। यह भी देखा गया कि मात्राओं में भारी अंतर अनुबंध में ली गई मात्राओं में त्रुटियों के कारण था, जो सीधे उपमृदा जल की गहराई और गुणांक (आरसीसी और पृथ्वी के काम के गुरुत्वाकर्षण केंद्र) से संबंधित था। इससे अनुबंध की अनुसूची एफ के संदर्भ में बाजार दरों पर ₹ 5.63 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

(राशि ₹ में)

मद संख्या	अनुबंधित मात्रा	वास्तव में निष्पादित किया गया	शुद्ध विचलित मात्रा	अनुमेय विचलन (%)	अतिरिक्त मात्रा जहां अनुबंधित दरों का भुगतान किया जाना है	वह मात्रा जहां बाजार दरों का भुगतान किया गया है	अनुबंधित दरें	बाजार दरें	परिहार्य भुगतान
1	2	3	4 (कॉलम 3-2)	5	6 (कॉलम 2x100/ 30 प्रतिशत)	7 (कॉलम 6-3)	8	9	10 कॉलम (9-8)x7
2.4	4190	8720.31	4530.31	30	5447	3273.31	474.24 ⁴⁷	896.54	1382319
2.5	67550	414335.69	346785.69	100	135100	279235.69	25.19 ⁴⁸	40.68	4325361
3.16	5472	144753.72	139281.72	30	7113.60	137640.12	474.24 ⁴⁹	842	50618531
परिहार्य भुगतान									56326211

इस प्रकार, अनुमानित मात्रा की गणना करते समय वित्तीय विवेक और उचित सावधानी न बरतने के परिणामस्वरूप अनुबंध के अनुसार अनुमेय सीमा से अधिक विचलन हुआ और इसके कारण जल निकासी से संबंधित तीन मर्दों की

⁴⁷ अनुमानित दर - ₹ 474.50 लागत सूचकांक जोड़ें - 15.69 प्रतिशत कम लागत सूचकांक - 9.50 प्रतिशत कम संविदाकार छूट - 4.54 प्रतिशत = ₹ 474.24

⁴⁸ अनुमानित दर- ₹ 25.20 लागत सूचकांक जोड़ें - 15.69 प्रतिशत कम लागत सूचकांक - 9.50 प्रतिशत कम संविदाकार छूट - 4.54 प्रतिशत = ₹ 25.19

⁴⁹ अनुमानित दर - ₹ 474.50 लागत सूचकांक - 15.69 प्रतिशत कम लागत सूचकांक - 9.50 प्रतिशत कम संविदाकार छूट - 4.54 प्रतिशत = ₹ 474.24

विचलित मात्रा पर बाजार दरों पर ₹ 5.63 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

सरकार को भारी वित्तीय हानि पहुंचाने वाली चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।

मामले की सूचना विभाग को दी गई थी (28 मई 2024), उसका उत्तर प्रतीक्षित है।

परिवहन विभाग

2.8 अधिशेष निधियों के निवेश में विलंब के कारण ₹ 5.50 करोड़ के ब्याज की हानि

डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट अप्रैल 2020 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान की अधिशेष निधि का समय पर निवेश करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.50 करोड़ के ब्याज की संभावित हानि हुई।

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना (मई 2015) के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (अधिनियम) की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के संबंध में प्रत्येक नियोक्ता, माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रतिष्ठान या कर्मचारियों के मासिक भविष्य निधि अंशदान को उस प्रतिष्ठान में विधिवत गठित ट्रस्ट बोर्ड को हस्तांतरित करेगा। ट्रस्ट बोर्ड उक्त अंशदान की प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर हर महीने किसी भी अनिवार्य व्यय का कम करने के बाद अंशदान और ब्याज का निवेश करेगा।

2020-23 की अवधि के लिए दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (ट्रस्ट) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि मार्च 2023 तक, कुल 31,436 डीटीसी कर्मचारी इसके साथ पंजीकृत थे। ट्रस्ट अधिशेष निधि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बॉन्ड, विशेष जमा खातों और इक्विटी और म्यूचुअल फंड से संबंधित क्षेत्रों में निवेश कर रहा था। मार्च 2023 तक, ट्रस्ट का कुल निवेश ₹ 1,321.08 करोड़ था।

यह देखा गया कि ट्रस्ट के तीन⁵⁰ सक्रिय बैंक खाते थे, जिसमें वह डीटीसी कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान की राशि को कर्मचारी भविष्य निधि के मद में जमा करता था, और अपने अनिवार्य व्यय का भुगतान अपने केनरा बैंक खाते से करता था। केवल खाते में धन की कमी की स्थिति में, एक्सिस बैंक निवेश खाते से धन अंतरित किया जाता था (अनुलग्नक 2.7)।

तथापि, अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए एक्सिस बैंक खातों के विवरण से पता चला है कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की मई 2015 की अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए कुल ₹ 1,979.73 करोड़ एक महीने⁵¹ से अधिक समय तक बैंक में निवेश नहीं किए गए (अनुलग्नक 2.8) जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.50 करोड़ के ब्याज की संभावित हानि हुई।

ट्रस्ट ने अपने उत्तर में कहा (मई 2024) कि 100 प्रतिशत धन का निवेश नहीं किया गया था क्योंकि ट्रस्ट को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अंतिम भुगतान, कर्मचारियों को वापसी योग्य और गैर-वापसी योग्य ऋण जारी करने आदि के अनिवार्य भुगतानों हेतु लगभग ₹ 50 करोड़ अलग रखने थे। ट्रस्ट का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ट्रस्ट ने अपने केनरा बैंक खाते से अपने अनिवार्य व्ययों को पूरा किया था और संपूर्ण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निवेश खाते (एक्सिस बैंक) से भुगतान खाते (केनरा बैंक) में औसत मासिक अंतरण ₹ 8.72 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, एक्सिस बैंक निवेश खाते में एक महीने से अधिक समय से पड़ी अनिवेशित शेष राशि की गणना करते समय, ट्रस्ट के परिनिर्धारण पहलू पर विचार करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा चालू माह की जमा राशि को पहले ही ध्यान में नहीं रखा गया है।

लेखापरीक्षा का यह विचार है कि ट्रस्ट को अधिकारियों को नामित करना चाहिए और, बताई गई अधिसूचना के अनुसार अधिशेष निधियों के समय पर निवेश के लिए जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और उन्हें कर्मचारियों/हितधारकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

⁵⁰ तीसरा खाता कैंटीन कर्मचारियों के अंशदान को बनाए रखने के लिए था।

⁵¹ तथापि एक्सिस बैंक खाते में प्राप्त राशि को जल्द से जल्द निवेश किया जाना चाहिए था, परंतु श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की मई 2015 की अधिसूचना के प्रावधानों और गणना में आसानी को ध्यान में रखते हुए एक महीने की अवधि ली गई है। एक माह के दौरान निवेश नहीं की गई राशि की गणना उक्त महीने के प्रारंभिक शेष से महीने के दौरान डेबिट की गई राशि को काटकर की गई है।

शहरी विकास विभाग

दिल्ली जल बोर्ड

2.9 ₹ 1.56 करोड़ का परिहार्य भुगतान

संचालन और रखरखाव कार्य के लिए सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी के नाम पर विद्युत कनेक्शन लेने के परिणामस्वरूप डीजेबी जैसी सार्वजनिक उपयोगिता के लिए निर्धारित कम दर (₹ 6.25 प्रति केवीएच) के प्रावधान के बावजूद विद्युत बिलों का भुगतान (गैर-घरेलू श्रेणी के अंतर्गत) ₹ 8.50 प्रति केवीएच की उच्च दर पर किया गया। विद्युत की लागत में वृद्धि के लिए एजेंसी को ₹ 1.56 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

दिल्ली जल बोर्ड ने नजफगढ़, सप्लीमेंट्री और शाहदरा नालों के इंटरसेप्टर सीवर के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के काम के लिए मैसर्स प्रतिभा मोसिझस्ट्रोई कंसोशियम (मैसर्स पीएमसी) के साथ 11 वर्षों की अवधि के लिए एक अनुबंध किया (7 जून 2021)। संविदा करार के खंड 55 (परिशिष्ट संख्या 7) के अनुसार, मैसर्स पीएमसी विद्युत शुल्क में वृद्धि के लिए भुगतान का हकदार था।

2021-22 के लिए बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) के विद्युत टैरिफ के अनुसार, मैसर्स पीएमसी (गैर-घरेलू श्रेणी के अंतर्गत) के लिए निर्धारित दर ₹ 8.50 प्रति केवीएच थी, जब कि इस सार्वजनिक उपयोगिता कार्य के लिए डीजेबी के लिए निर्धारित दर ₹ 6.25 प्रति केवीएच थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदा करार में लापरवाही से विद्युत की कीमतों में वृद्धि दी गई, क्योंकि विद्युत कनेक्शन डीजेबी के नाम पर लेने के स्थान पर मैसर्स पीएमसी के नाम पर लेने गया था, जिससे सार्वजनिक सेवा के लिए निर्धारित रियायती दरें प्राप्त होती। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है कि अक्टूबर 2018 में बीआरपीएल ने डीजेबी को इन इंटरसेप्टर सीवरों के ओ एंड एम कार्य के लिए पिछली संविदा के संदर्भ में कम टैरिफ का लाभ उठाने के लिए अपने नाम पर विद्युत कनेक्शन बदलने के लिए लिखा था। तथापि, डीजेबी ने मैसर्स पीएमसी के साथ अपनी संविदा में वृद्धि खंड का लापरवाही से पालन

किया और बीआरपीएल के साथ नाम परिवर्तन के मामले को केवल मई 2022 में देर से उठाया और मई 2023 के अंत तक डीजेबी को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। अंततः, 28 दिसंबर 2023 से विद्युत कनेक्शन डीजेबी के नाम पर बदल दिया गया और उसके पश्चात विद्युत के बिल ₹ 0.25 प्रति केवीएच की कम दर पर प्राप्त हो रहे हैं।

परिणामस्वरूप, एजेंसी ने विद्युत शुल्क में वृद्धि के कारण ₹ 8.24 करोड़ के तीन बढ़े हुए बिल जमा किए, जिसमें से ₹ 4.81 करोड़ का भुगतान डीजेबी द्वारा किया गया है (जनवरी 2023)। एजेंसी द्वारा दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए वृद्धि बिल (₹ 0.50 प्रति केवीएच की दर से) प्रस्तुत करना बाकी था।

जून 2021 में मेसर्स पीएमसी के साथ अनुबंध करने से पूर्व डीजेबी को अपने नाम पर विद्युत कनेक्शन लेने में विफलता और उसके बाद विक्रेता के नाम से अपने नाम पर कनेक्शन को बदलने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़⁵² का परिहार्य भुगतान हुआ (**अनुलग्नक 2.9**) और साथ ही ₹ 1.06 करोड़ के तीसरे वृद्धि बिल के लिए देयता भी उत्पन्न हो गई। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 की अवधि के लिए विद्युत शुल्क में वृद्धि का अलग से दावा किया जाना शेष था।

अपने उत्तर में, डीजेबी ने कहा (मार्च 2025) कि संविदा करार में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि विद्युत कनेक्शन दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर लिया जाना था और संविदा करार के अनुसार, व्यक्तिगत उपभोक्ता के लिए ₹ 8.50 प्रति यूनिट की दर से लागू गैर-घरेलू हाई-टेंशन टैरिफ पर आधारित बढ़े हुए बिल का भुगतान किया गया था, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन लिया गया था।

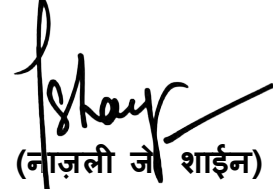
उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस बात की सूचना होने के बावजूद कि दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर विद्युत कनेक्शन होने से कम दर पर विद्युत शुल्क के भुगतान की सुविधा होगी, इस मामले को संविदा के चरण में शामिल नहीं किया गया था और उसके पश्चात भी इसे तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाया गया जिससे

⁵² पहली बिल राशि ₹ 1.07 करोड़ + दूसरी बिल राशि ₹ 0.49 करोड़ दो वृद्धि बिलों के लिए

जून 2021 से दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क में वृद्धि के कारण ₹ 2.62 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान/देयता का सृजन हुआ जो परिहार्य था। लेखापरीक्षा की सिफारिश है कि डीजेबी ऐसे सभी चल रहे अनुबंधों की समीक्षा करे और राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए विद्युत कनेक्शनों को अपने नाम पर अंतरित करने के लिए कार्रवाई शुरू करे।

नई दिल्ली

दिनांक: 15 अप्रैल 2026



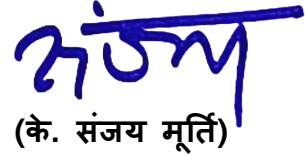
(नाज़ली जे शार्इन)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 22 अप्रैल 2026



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

